सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

राजकीय आश्वासन समिति

का

349वाँ प्रतिवेदन

(स्वास्थ्य विभाग)

(दिनांक 23/07/2026 ई० को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा
की
राजकीय आश्वासन समिति प्रशाखा द्वारा प्रकाशित ।

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	प्राक्कथन	क
2.	राजकीय आश्वासन समिति के माननीय सदस्यों एवं समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	ख
3.	आश्वासनों की सूची	ग
4.	प्रतिवेदन	1-22
5.	परिशिष्ट	23-74

प्राक्कथन

मैं सभापति, राजकीय आश्वासन समिति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों के कुल 21 आश्वासनों के कार्यान्वयन से संबंधित राजकीय आश्वासन समिति का 349वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

इस प्रतिवेदन सन्निहित आश्वासनों को समिति की दिनांक 4 अगस्त, 2023 की बैठक में समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना गया तथा इस प्रतिवेदन को समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

संसदीय लोकतंत्र में विधायकगण, विधानमंडल में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ती हेतु जन-प्रतिनिधि द्वारा जनहित के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसपर सरकार का आश्वासन होता है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 284 के तहत गठित राजकीय आश्वासन समिति, सरकार द्वारा सदन में दिये गये ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ कार्य करती है तथा कार्यान्वित आश्वासनों से संबंधित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती है।

इन आश्वासनों के कार्यान्वयन में विभागीय पदाधिकारियों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

दामोदर रावत,

सभापति,
राजकीय आश्वासन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा के राजकीय आश्वासन समिति की वर्ष 2024–25 के माननीय सदस्यों की सूची --

सभापति

1. श्री दामोदर रावत	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री केदार नाथ सिंह	स०वि०स०
2. श्री संजय कुमार गुप्ता	स०वि०स०
3. श्री हरिभूषण ठाकुर "बचोल"	स०वि०स०
4. श्री जनक सिंह	स०वि०स०
5. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह	स०वि०स०
6. श्री सुदर्शन कुमार	स०वि०स०
7. श्री उमाकांत सिंह	स०वि०स०
8. श्री रामविशुन सिंह	स०वि०स०
9. श्री मुरारी प्रसाद गौतम	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची--

1. श्री राज कुमार	सचिव
2. श्री असीम कुमार	निदेशक
3. श्रीमती पूनम सिन्हा	उप-सचिव
4. सुश्री शिल्पा यादव	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री राजीव कुमार सिंह	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री शक्ति कुमार प्रसाद	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7. श्री राजीव रंजन-III	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
8. श्री मो० अली	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
9. श्री रवि शंकर	डाटा इंट्री ऑपरेटर

दिनांक 04 अगस्त, 2023 को राजकीय आश्वासन समिति की हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यान्वित आश्वासनों की सूची --

क्रम सं०	आश्वासन सं०
1	205/21
2	223/21
3	527/21
4	539/21
5	705/21
6	721/21
7	1145/21
8	1160/21
9	1470/21
10	1519/21
11	271/22
12	272/22
13	347/22
14	786/22
15	792/22
16	815/22
17	839/22
18	845/22
19	1518/22
20	1527/22
21	1573/22

प्रतिवेदन

स्वास्थ्य विभाग

आश्वासन संख्या 205/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 442 (द-84), दिनांक 26 फरवरी, 2021 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता —श्री महा नंद सिंह, स०वि०स० ।

विषय—अरवल जिला अन्तर्गत अरवल सदर अस्पताल में काफी संख्या में मरीज चिकित्सा कराने आते हैं, किन्तु यहां ब्लड बैंक एवं आई०सी०यू० की सुविधा नहीं है, जिससे मरीजों के परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उक्त अस्पताल में ब्लड बैंक के साथ आई०सी०यू० की स्थापना कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला अन्तर्गत स्थित सदर अस्पताल में ब्लड बैंक की अनुज्ञप्ति हेतु कार्रवाई प्राथमिकता पर की जा रही है। केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के साथ संयुक्त निरीक्षण हेतु कार्यालय पत्रांक 279(15), दिनांक 15 फरवरी, 2021 द्वारा अनुरोध किया जा चुका है। निरीक्षण कार्य संयुक्त रूप से केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के औषधि निरीक्षक तथा स्थानीय औषधि निरीक्षक द्वारा किया जाना है। निरीक्षणोंपरान्त अनुज्ञप्ति हेतु महा औषधि नियंत्रक, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुशंसा की जा सकेगी। सदर अस्पताल, अरवल के आई०सी०यू० की स्थापना भविष्य में विशिष्ट चिकित्सकों एवं अन्य प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा ।

श्री महा नंद सिंह--अध्यक्ष महोदय, पूरक सवाल है । माननीय मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं कि अरवल में दुर्घटना का स्थान बिहार में दूसरा है और अरवल सदर अस्पताल में अभीतक ब्लड बैंक नहीं है, आई०सी०यू० की कोई व्यवस्था नहीं है, हड्डी का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं है। यह जो जवाब दिये हैं तो इसमें यह है कि यह केन्द्र सरकार से कबतक मांगेंगे, अनुरोध करेंगे....

अध्यक्ष--आप पूरक पूछें ।

श्री महा नंद सिंह--अध्यक्ष महोदय, कबतक वो करेंगे। इसमें समय निर्धारण नहीं है। जल्दी-से-जल्दी निर्धारण का टाईम दें ।

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, अगले 2 महीने के अंदर कर लेंगे।

(ज्ञाप संख्या 205-वि०स०, पटना, दिनांक 3 अगस्त, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 205, दिनांक 3 अगस्त, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1395(15), दिनांक 5 अक्टूबर, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-I पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 223/2021

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 473 (द-107), दिनांक 26 फरवरी, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री संजय सरावगी, स०वि०स०।

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के (a) हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, कंसी (b) हेल्थ एण्ड वेलनेंस सेंटर, सोनहान एवं (c) हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, रानीपुर में एम०बी०बी०एस० डॉक्टर नहीं है, इस कारण मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त तीनों हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में एम०बी०बी०एस० चिकित्सकों की पदस्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्तमान में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, कंसी पर डॉ० मयंक भूषण ठाकुर, आयुष चिकित्सक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, सोनहान पर डॉ० मो० वसीम आयुष चिकित्सक एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, रानीपुर पर सप्ताह में दो दिन डॉ० रघुनाथ प्रसाद, आयुष चिकित्सकों से ओ०पी०डी० की सेवा ली जा रही है।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के जिलों में Medical Officer APHC के पद पर Walk in Interview के माध्यम से नियोजन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन संख्या 01/2021 द्वारा अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है।

सभी जिलों में माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को Walk in Interview का आयोजन किया गया है। चिकित्सक उपलब्ध होते ही पदस्थापना कर दिया जायेगा।

कार्यहित में प्रश्नगत Health & Wellness Center में आयुष चिकित्सक कार्यरत है।

(ज्ञाप संख्या 223-वि०स०, पटना, दिनांक 3 अगस्त, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 223, दिनांक 3 अगस्त, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 106(12), दिनांक 8 फरवरी, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-II पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 527/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1188 (द-215), दिनांक 05 मार्च, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री राम सिंह, स०वि०स०, क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भैरोगंज, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दिसम्बर, 2019 से प्रसव कार्य भी बन्द है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भैरोगंज, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव कार्य को चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैरोगंज में 23 मार्च, 2020 तक प्रसव कार्य कराया गया है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैरोगंज में 02 एम०बी०बी०एस० चिकित्सक डॉ० शिखा स्वराज एवं डॉ० विभूति भूषण पदस्थापित हैं।

श्रीमती निर्मला देवी, ए०एन०एम० पूर्व से पदस्थापित हैं। श्रीमती गीता कुमारी, ए०एन०एम० को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैरोगंज में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। एक सप्ताह के अन्दर प्रसव कार्य प्रारंभ हो जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 527–वि०स०, पटना, दिनांक 24 अगस्त, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 527, दिनांक 24 अगस्त, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 332(06), दिनांक 19 मई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-III पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 539/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1218 (द-139), दिनांक 05 मार्च, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री संजय सरावगी, स०वि०स०।

(1) क्या यह बात सही है कि डी०एम०सी०एच०, दरभंगा में 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेस्लिटी अस्पताल का निर्माण कार्य पिछले छः वर्षों से चल रहा है, जबकि कार्य पूर्ण होने की अवधि 3 वर्ष थी ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डी०एम०सी०एच०, दरभंगा में सुपर स्पेस्लिटी अस्पताल कबतक प्रारंभ करने का विचार रखती है ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)—स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सुपर स्पेस्लिटी अस्पताल का निर्माण भारत सरकार की एजेंसी HITES लि० द्वारा कराया जा रहा है। विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी एवं भारत सरकार के साथ इसे ससमय पूर्ण कराने हेतु लगातार अनुश्रवण किया जाता है।

अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही इसे प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 539–वि०स०, पटना, दिनांक 24 अगस्त, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 539, दिनांक 24 अगस्त, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 477(01), दिनांक 29 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 705/21

प्रसंग एवं विषय

अल्पसूचित प्रश्न संख्या 44 (अ०सू०-17), दिनांक 13 मार्च, 2021 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता —श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० ।

विषय—अंग्रेजी समाचार-पत्र में दिनांक 11 फरवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "False Phone numbers, Fake Name :- How Bihar Covid Testing Date Got Infected" को ध्यान में रखते हुये आंकड़े द्वारा कोरोना टेस्टिंग में व्यापक वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आया है, जिसमें पटना, जमुई, शेखपुरा एवं अन्य जिलों में कोरोना जाँच के नाम पर भारी अनियमितता उजागर हुयी है, तो इस मामले की जाँच हेत उच्चस्तरीय कमिटी गठन करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि The Indian Express में दिनांक 11 फरवरी, 2021 को कोविड-19 के डाटा संरक्षण में की गयी अनियमितता से संबंधित समाचार के उपरांत विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुये विभाग के 09 (नौ) वरीय चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिलाधिकारियों के स्तर से पटना, शेखपुरा एवं जमुई सहित राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड 19 के डाटा की जाँच करायी गयी। जाँच के क्रम में मात्र जमुई जिला के बरहट एवं सिकन्दरा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के कोविड 19 की डाटा संधारण में अनियमितता किये जाने की सूचना जिलाधिकारी, जमुई के द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2021 को दी गयी । जिला पदाधिकारी, जमुई के प्रतिवेदन पर विभाग, द्वारा पदाधिकारियों को निलंबित किया गया एवं दिनांक 22 फरवरी, 2021 को इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी--

(क) डॉ० विजयेन्द्र सत्यार्थी, सिविल सर्जन, जमुई ।

(ख) डॉ० विमल कुमार चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमुई-सह-प्रभारी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जमुई ।

(ग) डॉ० नन्द कुमार मंडल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बरहट, जमुई ।

(घ) डॉ० शाजिद हुसैन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दरा, जमुई। जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री सुधांशु कुमार लाल एवं जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई श्री मुकेश कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है।

जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जिला स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरहट के नियमित दो ए०एन०एम० को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा 07 (सात) संविदा नियोजित कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दरा, जमुई के 03 (तीन) नियमित एवं 09 (नौ) संविदा नियोजित, जिसमें 02 (दो) चिकित्सक डॉ० अनवर एवं डॉ० विश्वजीत भी हैं, से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इन सभी कर्मियों के विरुद्ध नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप संख्या 705-वि०स०, पटना, दिनांक 25 अगस्त, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 705, दिनांक 25 अगस्त, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 330(09), दिनांक 26 मई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-V पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 721/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1801 (द-134), दिनांक 13 मार्च, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री विनय कुमार, स०वि०स०।

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखण्ड के उप-स्वास्थ्य केन्द्र, चासी एवं गुरारू प्रखण्ड के उप-स्वास्थ्य केन्द्र, कनौसी सहित अन्य सभी प्रखण्ड के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर मात्र एक ही नर्स की पदस्थापना की गयी है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित उप-स्वास्थ्य केन्द्रों सहित सभी उप-स्वास्थ्य केन्द्रों सहित सभी उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप स्वास्थ्य कर्मीगण की पदस्थापना कराते हुये इलाज की सुविधा प्रदान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय (मंत्री)--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है । स्वास्थ्य उप-केन्द्र, चासी (गुरूआ) में श्रीमती निर्मला कुमारी, ए०एन०एम० पदस्थापित हैं।

स्वास्थ्य उप-केन्द्र, कनौसी (गुरारू) नवसृजित है जहां अभी ए०एन०एम० की पदस्थापना नहीं हुयी हैं श्रीमती माधुरी कुमारी, ए०एन०एम० को प्रतिनियुक्ति कर कार्य लिया जा रहा है।

(2) सभी स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में मानक के अनुरूप दो ए०एन०एम० होना चाहिये। गया जिले में 473 स्वास्थ्य उप-केन्द्र संचालित है जिसमें 641 ए०एन०एम० पदस्थापित एवं कार्यरत हैं।

रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई की जा रही है।

(ज्ञाप संख्या 721–वि०स०, पटना, दिनांक 25 अगस्त, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 721, दिनांक 25 अगस्त, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 331(06), दिनांक 19 मई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1145/21

प्रसंग एवं विषय

अल्पसूचित प्रश्न संख्या 63 (अ०सू०-23), दिनांक 19 मार्च, 2021 को (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता —श्री राज कुमार सिंह, स०वि०स० ।

विषय— (1) राज्य सरकार द्वारा योग के माध्यम से राज्य के आमजनता को जागरूक करने और योग का प्रशिक्षण देने हेतु 27 जिला एवं 22 अनुमंडल अस्पतालों में "दैनिक योग प्रशिक्षण कैंप" चलाये जाने का निर्णय लेते हुये योग्यता एवं संविदा के आधार पर योग प्रशिक्षक की नियुक्ति दस हजार रुपये मानदेय पर वर्ष 2008 में की गयी है ;

(2) उपर्युक्त योग प्रशिक्षकों के मानदेय में वर्ष 2008 से अबतक बढ़ोतरी नहीं की गयी है ;

(3) तो आमजनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु योग प्रशिक्षकों के मानदेय में यथोचित बढ़ोतरी करते हुये योग को बढ़ावा देने हेतु योग प्रशिक्षण को कार्य पूरे राज्य में सुचारू रूप से चलाये जाने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय (मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, (1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) यथोचित बढ़ोतरी अगले वित्तीय वर्ष में की जायेगी ।

(ज्ञाप संख्या रा०आ०स०-35/2021-1145/वि०स०, पटना, दिनांक 2 सितम्बर, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1145, दिनांक 2 सितम्बर, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 105(10), दिनांक 20 मई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1160/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2634 (पुन-59), दिनांक 19 मार्च, 2021 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता —श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० ।

विषय—(1) कोविड-19 बीमारी से मरने वालों को सरकार आपदा से चार लाख रुपया की राशि उनके परिजन को देती है ;

(2) सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-कचोर के निवासी दिनेश कापर की मृत्यु कोविड-19 से एस०के०एम०सी०एच०, मुजफ्फरपुर में दिनांक 23 नवम्बर, 2020 को 7.00 बजे में हो गयी थी ;

(3) तो स्व० दिनेश कापर को आपदा मद से चार लाख रुपया उनके परिजन को भुगतान करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--महोदय, (1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) एक सप्ताह के अन्दर करा दिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या रा०आ०स०-35/2021-1160/वि०स०, पटना, दिनांक 2 सितम्बर, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1160, दिनांक 2 सितम्बर, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1037(11), दिनांक 26 नवम्बर, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1470/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 453 (द-26), दिनांक 30 जुलाई, 2021 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता —श्री राकेश कुमार रौशन, स०वि०स० ।

विषय—(1) नालन्दा जिला के ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर के प्रचार्या कभी भी विद्यालय में नहीं रहती है ;

(2) जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2020 को औचक निरीक्षण में भी वे अनुपस्थित पायी गयी है तथा विद्यालय का कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं था, जिसपर जिला पदाधिकारी के ज्ञापांक 348/गो० द्वारा स्पष्टीकरण की भी मांग की गयी है ;

(3) विद्यालय के एक शिक्षक का जाली हस्ताक्षर बनाकर उनके खाता से राशि भी निकाल लेने का कार्य किया है ;

(4) तो ऐसे प्राचार्य पर कार्रवाई करने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(2) जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2020 के औचक निरीक्षण में प्राचार्य सहित कुछ कर्मी अनुपस्थित पाये गये जिनका वेतन अवरुद्ध करते हुये स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, नालंदा के ज्ञापांक 1988/गो०, दिनांक 24 मार्च, 2020 के द्वारा अनुपस्थित कर्मियों का वेतन विमुक्त किया गया है।

(3) अस्वीकारात्मक है। ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं है।

श्री राकेश कुमार रौशन--क्या माननीय मंत्री जी कार्रवाई करेंगे वैसे प्राचार्य पर जो इस्लामपुर में नहीं रहती है। एक और पूरक है मेरा महोदय जो वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है माननीय मंत्री जी ने कहा कि संज्ञान में नहीं है जबकि स्पष्ट रूप से उसी स्कूल के एक टीचर हैं वह.....

अध्यक्ष--पूरक पूछिये न ?

श्री राकेश कुमार रौशन--वही टीचर का आरोप है कि पैसा निकाल लिया गया है हमारे एकाउन्ट से तो क्या उस प्राचार्य पर कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष--ठीक है, बैठ जाईए। माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं है। यदि माननीय सदस्य के द्वारा संज्ञान में लाया जायेगा तो हम उसपर कार्रवाई करेंगे।

श्री ललित कुमार यादव--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि प्राचार्या वहां नहीं रहती है और उनकी अनुपस्थिति के कारण बच्ची का एक बार अपहरण हुआ है, इतना गंभीर मामला है महोदय तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि वे प्रधानाचार्ज के मोबाईल का सी०डी०आर० जांच करायेंगे कि कबतक रहती है, कब नहीं रहती है ?

अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी।

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--जिस अपहरण बगैरह की घटना संबंधी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं वह प्रश्न में कहीं भी उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखा रहता तो हम पता करके आते

और हम सारी विषयों पर जानकारी प्राप्त करते ।

श्री ललित कुमार यादव--महोदय, हमने कहा कि प्रचार्या अनुपस्थित रहती हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--जिला पदाधिकारी ने अनुपस्थित कर्मियों के वेतन भुगतान का निर्देश दिया है, जिलाधिकारी का पत्र मेरे पास में है।

अध्यक्ष--ललित जी, आप सीनियर सदस्य हैं, माननीय मंत्री जी बहुत सकारात्मक बोल रहे हैं कि आप लिखकर दे दीजिये, हम जाँच करवा देंगे।

श्री ललित कुमार यादव--महोदय, प्राचार्या के मोबाईल का सी०डी०आर० केवल जाँच करवा दें।

अध्यक्ष--ठीक है, माननीय मंत्री जी आप दिखवा लिजिये इसको। ठीक है दिखवा लेंगे। कह तो रहे हैं कि दिखवा लेंगे।

(ज्ञाप संख्या 1470 /वि०स०, पटना, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1470, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1090(6), दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1519/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 492 (द-21), दिनांक 30 जुलाई, 2021 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री दामोदर रावत, स०वि०स०।

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिला अन्तर्गत जी०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल एवं हॉस्टल, महुली प्रखण्ड गिद्धौर का निर्माण 20.45 करोड़ की लागत से किया गया है तथा इसका उद्‌घाटन मा० मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2020 को किया जा चुका है किन्तु विभाग द्वारा अबतक उक्त ट्रेनिंग स्कूल एवं हॉस्टल का संचालन प्रारम्भ नहीं किया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ट्रेनिंग स्कूल एवं हॉस्टल का संचालन वर्तमान सत्र में प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--(1) वस्तुस्थिति यह है कि जमुई जिला अन्तर्गत जी०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल एवं हॉस्टल, महुली प्रखण्ड गिद्धौर का निर्माण पूर्ण हो गया है तथा विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है। उक्त ट्रेनिंग स्कूल एवं हॉस्टल का आगामी नामांकन सत्र से पहले संचालन प्रारंभ कर दिया जायेगा।

(2)

(ज्ञाप संख्या रा०आ०स०-44/2021-1519 /वि०स०, पटना, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1519, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 334(6), दिनांक 19 मई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-X पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 271/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 473 (द-21), दिनांक 04 मार्च, 2022 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता —श्री नन्द किशोर यादव, स०वि०स० ।

विषय— (1) पटना जिला के पटना साहिब विधान सभा क्षेत्र में स्थित श्री गुरू गोविन्द सिंह अनुमंडलीय अस्पताल, पटना सिटी को ज्ञापांक 10/सदर 04-01/2018-325 (10), दिनांक 12 जुलाई, 2018 को श्री गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना के रूप में उत्क्रमित करने के बावजूद भी वहां आजतक पूर्णकालिक अधीक्षक का पदस्थापन नहीं किया गया है ;

(2) सदर अस्पताल में उत्क्रमित करने के बावजूद भी वहां आजतक पूर्णकालिक अधीक्षक का पदस्थापन नहीं किया गया है ;

(3) तो उक्त सदर अस्पताल में पूर्णकालिक अधीक्षक का पदस्थापन करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना में अधीक्षक के पद पर डॉ० पशुपति प्रसाद सिंह का नियमित पदस्थापन विभागीय अधिसूचना संख्या 732 (3), दिनांक 22 सितम्बर, 2020 द्वारा किया गया था जो जुलाई, 2021 में सेवानिवृत हो गये हैं। वर्तमान में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना अधीक्षक, सदर अस्पताल, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में है।

(3) श्री गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना में अधीक्षक के पद पर पदस्थापन किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे एक माह में पूर्ण कर दी जायेगी।

(ज्ञाप संख्या 271-वि०स०, पटना, दिनांक 29 अप्रील, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 271, दिनांक 29 अप्रील, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 311(3), दिनांक 28 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 272/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 474 (द-88), दिनांक 04 मार्च, 2022 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता —श्रीमती स्वर्णा सिंह, स०वि०स० ।

विषय— (1) दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरौल परिसर में नर्सिंग महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार है तथा इसके अतिरिक्त दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल में एक भी नर्सिंग महाविद्यालय नहीं है ;

(2) तो उक्त नर्सिंग महाविद्यालय, बिरौल को संचालित करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि ए०एन०एम० स्कूल, बिरौल, दरभंगा को विभागीय आदेश ज्ञापांक 1009(6), दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के द्वारा सत्र 2021-22 के लिये 60 सीटों पर नामांकन हेतु मान्यता प्रदान किया गया है। बी०सी०ई०सी०ई० बोर्ड, पटना के द्वारा छात्राओं के नामांकन के लिये कांउसेलिंग की प्रक्रिया की जा रही है जिसमें प्रथम काउंसेलिंग में 41 छात्राओं का चयन किया गया है जिसमें से 17 छात्राओं का नामांकन किया जा चुका है, शेष छात्राओं का नामांकन प्रक्रियाधीन है।

(ज्ञाप संख्या 272—वि०स०, पटना, दिनांक 29 अप्रील, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 272, दिनांक 29 अप्रील, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 617(6), दिनांक 08 जुलाई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 347/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 608 (द-53), दिनांक 04 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री महबूब आलम, स०वि०स०।

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हुयी है, जिससे बिहार को अधिक-से-अधिक ट्रॉमा सेंटरों और विकलांग अस्पतालों के साथ पर्याप्त संख्या में फिजियोथेरापिस्टों एवं अकुपेशनल थेरापिस्टों की आवश्यकता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में उक्त आवश्यकताओं को देखते हुये प्रतिवर्ष फिजियोथेरापिस्टों एवं अकुपेशनल थेरापिस्टों की बहाली करने की आवश्यकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रतिवर्ष पर्याप्त संख्या में फिजियोथेरापिस्टों एवं अकुपेशनल थेरापिस्टों की सरकारी नियुक्तियाँ निकालकर बहाल करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)—(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) फिजियोथेरापिस्टों के कुल सृजित पद 150 एवं अकुपेशनल थेरापिस्टों के कुल सृजित पद 87 के विरुद्ध फिजियोथेरापिस्टों के रिक्त 126 एवं अकुपेशनल थेरापिस्टों की रिक्त 86 पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। जिसके तहत कॉन्सिलिंग की प्रक्रिया चल रही है।

(ज्ञाप संख्या 347-वि०स०, पटना, दिनांक 29 अप्रील, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 347, दिनांक 29 अप्रील, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 608 (11), दिनांक 13 मार्च, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 786/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1459 (द-101), दिनांक 11 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स०।

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत अनुमण्डल अस्पताल, जयनगर परिसर स्थित ए०एन०एम० प्रशिक्षण केन्द्र में शिक्षकों के 06 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र दो कार्यरत, लिपिक के स्वीकृत 02 पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर एक कार्यरत तथा वार्डेन का पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कुल स्वीकृत पद 30 के स्थान पर मात्र 19 छात्रायें नामांकित हैं तथा शैक्षणिक सत्र फरवरी, 2021 के बदले दिसम्बर, 2021 से वर्ग संचालन प्रारम्भ किया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त नर्सिंग केन्द्र में शेष स्वीकृत पदों पर शिक्षक एवं कर्मचारियों का नियुक्ति कर शैक्षणिक सत्र सुचारू रूप से चलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--(1) स्वीकारात्मक है । ए०एन०एम० स्कूल, जयनगर, मधुबनी में ट्यूटर के स्वीकृत 6 पदों के विरुद्ध विभागीय आदेश ज्ञापांक 834 (6), दिनांक 7 अगस्त, 2021 के द्वारा 3 ट्यूटर को पदस्थापित किया गया जिसमें से 2 ट्यूटर श्री गिरीश कुमार जी तथा नीलम कुमारी कार्यरत है। विभागीय पत्रांक 1218(6), दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 के द्वारा एक लिपिक श्री मनोज कुमार तथा दो चतुर्थवर्गीय कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया है।

(2) स्वीकारात्मक है । अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर निर्धारित मानक के अनुरूप छात्राओं शैक्षणिक कैलेंडर को पूर्ण किया जायेगा।

(3) शैक्षणिक सत्र सुचारू रूप से संचालित है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 216 नर्सिंग ट्यूटर का विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त शेष रिक्त पदों पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी। गैर-शैक्षणिक पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से आवश्यक कर्मियों की सेवा प्राप्त की जायेगी।

(ज्ञाप संख्या 786-वि०स०, पटना, दिनांक 23 जून, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 786, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 878(6), दिनांक 17 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XIV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 792/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1477 (द-205), दिनांक 11 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री अवध बिहारी चौधरी, स०वि०स०।

(1) क्या यह बात सही है कि श्रीमती शैल कुमारी देवी, पति रामजीतन प्रसाद, ग्राम-भुलौनी, पो०-सिमरिया, थाना-नौतन, जिला-सीवान की मृत्यु कोविड-19 से दिनांक 27 मई, 2021 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, संस्थान फुलवारीशरीफ, पटना में हो गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के ज्ञापांक 12/प-क्यू-03-34/21-1080, (12), दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के द्वारा उक्त मृतका को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4,00,000 (चार लाख रुपये) के भुगतान हेतु सिविल सर्जन, सीवान को आदेश दिया गया था परन्तु सिविल सर्जन, सीवान ने उक्त मृतका के आश्रितों को चार लाख का भुगतान अभीतक नहीं किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार के आदेश होने के बाद भी सिविल सर्जन, सीवान द्वारा भुगतान नहीं करने का क्या कारण है ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--(1) स्व० शैल कुमारी देवी, पति रामजीतन प्रसाद, ग्राम-भुलौनी, पो०-सिमरिया, थाना-नौतन, जिला-सिवान के निकटतम परिजन श्री राम जीतन प्रसाद को अनुमान्य अनुग्रह अनुदान राशि 4,50,000 (चार लाख पचास हजार) मात्र का भुगतान प्रक्रिया अन्तर्गत है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, सीवान के ज्ञापांक 390/आ०प्र०, दिनांक 10 मार्च, 2022 के द्वारा मो० साढ़े चार लाख रु० के भुगतान का स्वीकृत्यादेश निर्गत कर दिया गया है। अगले तीन दिनों के अन्दर राशि स्थानान्तरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी।

(ज्ञाप संख्या 792–वि०स०, पटना, दिनांक 23 जून, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 792, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1122(12), दिनांक 21 जुलाई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 815/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1528 (द-22), दिनांक 11 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री नन्द किशोर यादव, स०वि०स०।

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के शासी निकाय की 31वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 31/06 द्वारा श्री गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के ज्ञापांक 901, दिनांक 31 मई, 2021 के द्वारा श्री गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु निविदा आमंत्रित कर अग्रेतर कार्रवाई करने के लिये प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को पत्र भेजा गया है, किन्तु अभीतक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के ज्ञापांक 901, दिनांक 31 मई, 2021 के द्वारा श्री गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। निविदा प्रक्रियाधीन है।

(ज्ञाप संख्या 815-वि०स०, पटना, दिनांक 23 जून, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 815, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 771(12), दिनांक 22 मई, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XVI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 839/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1567 (द-175), दिनांक 11 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री दिलीप राय, स०वि०स०।

(1) क्या यह बात सही है कि स्व० शिव शंकर चौधरी, पी०एम०सी०एच०, पटना के आँख विभाग में एच०ओ०डी० के पद पर कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 5 मई, 2021 को कोरोना से हो गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुदान के लिये आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद उनके परिजन को कोरोना से मृत्यु उपरान्त मिलने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान अभीतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व० शिव शंकर चौधरी के परिवार को मरणोंपरात अनुग्रह राशि प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय (मंत्री)--(1) स्व० शिव शंकर चौधरी, पी०एम०सी०एच०, पटना के आँख विभाग में सह-प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे, जो दिनांक 31 जुलाई, 2010 को सेवानिवृत्त हो गये।

मृतक की पत्नी श्रीमती कल्पना चौधरी द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 2019 के बाद वे किसी निजी चिकित्सा संस्थान में कार्यरत नहीं थे।

प्रश्नगत मामले में सत्यापनोपरान्त मृतक के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 15 दिनों के अन्दर कर दिया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 839–वि०स०, पटना, दिनांक 23 जून, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 839, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1459(12), दिनांक 28 सितम्बर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XVII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 845/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1574 (द-168), दिनांक 11 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री अजय यादव, स०वि०स०।

क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड नीमचक बथानी के सरकारी अस्पताल में एक पुराना एम्बुलेंस गाड़ी है जिससे मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अस्पताल में अतिरिक्त एम्बुलेंस गाड़ी कबतक, उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)—गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड नीमचक बथानी के सरकारी अस्पताल का एम्बुलेंस परिचालन में है तथा मरीजों को इसकी सुविधा प्रदान की जा रही है। विदित हो कि बी०एम०एस०आई०सी०एल० के स्तर से एक हजार नये एम्बुलेंस का क्रय प्रक्रियाधीन है।

उक्त क्रय के उपरान्त नीमचक बथानी सहित राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दो-दो नये एम्बलेंसों (ALS) की सुविधा प्रदान कराये जाने की योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

(ज्ञाप संख्या 845-वि०स०, पटना, दिनांक 23 जून, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 845, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1144 (12), दिनांक 27 जुलाई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XVIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1518/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 3112 (द-331), दिनांक 26 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री भरत बिन्द, स०वि०स०।

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में कोविड-19 से मृत्यु उपरान्त राज्य सरकार द्वारा रु० 4 लाख की मुआवजा राशि देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यू०आई०डी०सं० RTS-20-21921756, 23048600, 2558965 द्वारा क्रमशः कैमूर जिला के आमगीर अंसारी, बब्बन पाठक, रामसूरत गुप्ता सहित सैकड़ों कोविड-19 से वर्ष 2021 मृत व्यक्तियों के परिवार को अभीतक मुआवजा की राशि सरकार द्वारा नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवार को रु० 4 लाख की मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय (मंत्री)--(1), (2) एवं (3) प्रश्नगत मामले में सत्यापनोपरान्त मृतक के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान 15 दिनों के अन्दर कर दिया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 1518–वि०स०, पटना, दिनांक 18 जुलाई, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1518, दिनांक 18 जुलाई, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1590(12), दिनांक 01 नवम्बर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XIX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1527/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 3126 (द-320), दिनांक 26 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री विरेन्द्र सिंह, स०वि०स०।

(1) क्या यह बात सही है कि श्याम बहादुर सिंह, पिता-देवमंगल सिंह, ग्राम-भिखमपुर अंचल वजीरगंज जिला, गया की मृत्यु कोरोना से हो गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त व्यक्ति की सूची कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया के पत्रांक 152, दिनांक 14 जनवरी, 2022 के द्वारा भेजी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त मृतक के आश्रित को सरकारी मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--(1), (2) एवं (3) प्रश्नगत मामले में सत्यापनोपरान्त मृतक के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 15 दिनों के अन्दर कर दिया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 1527-वि०स०, पटना, दिनांक 18 जुलाई, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1527, दिनांक 18 जुलाई, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1493(12), दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1573/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 3192 (द-292), दिनांक 26 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री हरिशंकर यादव, स०वि०स०।

क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर प्रखण्ड स्थित रेफरल अस्पताल, रघुनाथपुर का एक्स-रे मशीन दो वर्ष पूर्व सीवान अस्पताल में ले जाने के कारण रेफरल अस्पताल में एक्स-रे कार्य बंद है, जिससे गरीब मरीजों को बाहर से एक्स-रे कराने में आर्थिक कठिनाई का सामना कर पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अस्पताल में एक्स-रे मशीन की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)--वस्तुस्थिति यह है कि रेफरल अस्पताल, रघुनाथपुर में एक्स-रे मशीन आउटसोर्स के द्वारा संचालित था, अस्पताल परिसर में जल जमाव होने के कारण एक्स-रे मशीन खराब हो गया। संबंधित एजेन्सी के द्वारा एक्स-रे मशीन को बनवाया जा रहा है। इसके लिये प्रथम तल पर कमरा चिन्हित कर लिया गया है। एक्स-रे मशीन अधिष्ठापित कराकर 45 दिनों के अन्दर चालू करा दिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 1573–वि०स०, पटना, दिनांक 18 जुलाई, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1573, दिनांक 18 जुलाई, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1460 (12), दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XXI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 21 मार्च, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 21 मार्च, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

संख्या 15/औ०19-04/2021-1395(15)/ स्वा०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

राम ईश्वर भा०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 5 अक्टूबर, 2021 (ई०)।

विषय-- श्री महा नन्द सिंह, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 442 (द-84) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 205/21 के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सप्तम् बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में दिनांक 26 फरवरी, 2021 को सदन के कार्यवाही के आलोक में विषयांकित मामले पर श्री मंगल पाण्डे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के आलोक में अरवल जिला अन्तर्गत स्थित सदर अस्पताल में रक्त केन्द्र की अनुज्ञप्ति का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिसका अनुज्ञप्ति संख्या BR-07(N) 2021 निर्गत तिथि 29 सितम्बर, 2021 है (छायाप्रति संलग्न)।

विश्वासभाजन,
राम ईश्वर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

संख्या 15/औ०27-05/2021-1373(15)/ स्वा०

निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना ।

(स्वास्थ्य विभाग)

प्रेषक

रवीन्द्र कुमार सिन्हा,
राज्य औषधि नियंत्रक,
बिहार, पटना।

सेवा में

मेसर्स रक्त केन्द्र,
सदर अस्पताल, अरवल।

पटना, दिनांक 29 सितम्बर, 2021 (ई०)।

विषय--रक्त केन्द्र अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत Whole Human Blood I.P. & its Component के संग्रहण, संचयन एवं प्रसंस्करण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र-27सी०, दिनांक 18 जनवरी, 2021 के संदर्भ में कहना है कि आपको ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के अन्तर्गत विहित प्रपत्र 28सी में रक्त केन्द्र अनुज्ञप्ति संख्या BR-07(N) 2021 के द्वारा रक्त संचयन, संग्रहण एवं प्रसंस्करण निर्मित रक्त केन्द्र के संचालन के लिये स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह प्रदत्त अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से दिनांक 28 सितम्बर, 2026 तक मान्य रहेगा।

3. निरीक्षणोपरांत यदि यह पाया जायेगा कि आप ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 एवं रूल्स, 1945 के अन्तर्गत सन्निहित प्रावधानों का अथवा प्रदत्त लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको प्रदत्त रक्त केन्द्र अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द कर दी जायेगी और आपके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गयी है :--

The Blod Center Shall comply the following conditions :-

1. The Blood Centre may be re-inspected periodically at least once in a year from the date of licensing by a team comprising of Drugs Inspectors of CDSCO and State Licensing Authority and if required with an expert. The report may be forwarded to this Directorate for information.
2. The Blood Centre Should Complied with all the Provisions Prescribed under Schedule-F Part - XII-B of the drugs and cosmetic Rules Authority may be directed to comply with all the suggestion mentioned by the inspecting team at the time of inspection report.

अनु० यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
रवीन्द्र कुमार सिन्हा,
राज्य औषधि नियंत्रक,
बिहार, पटना ।

FORM 28C

(See Rule 122-G)

LICENCE TO OPERATE : A BLOOD CENTRE FOR COLLECTION, STORAGE AND PROCESSING OF WHOLE HUMAN BLOOD AND/OR ITS COMPONENTS FOR SALE OR DISTRIBUTION.

1. Number of Licence BR07 (N) 2021 Date of issue 29 /09/2021 at the premises situated at M/s Blood Centre, Sadar Hospital, Arwal, Bihar.
2. M/s Blood Centre, Sadar Hospital, Arwal, Bihar is hereby licenced to collect store, process and distribute whole blood and/or its components.
3. Name (s) of the Item (s) :-
   I, whole Human Blood I.P.
4. Name (s) of competent Technical Staff :-

1. Medical Officer	:	Dr. Manish Kumar Singh, MBBS (MD Path), Exp. 04 yrs.
2. Blood Centre Technician	:	Mr. Suryakant Prakash, DMLT. Exp. 07 yrs.
	:	Md Tanweer Alam, DMLT.
	:	Mr. Rajiv Nayan, DMLT.
3. Registered Nurse	:	Smt. Pramila Kumari, ANM
4. Counselor	:	Mrs Sabista Naaz MA (Psychology) Exp. 07 yrs.

5. The licence authorises licensce to collect, store, distribute and processiong of whole blood and/or Blood Components subject.
6. The Licence shall be in force from 29.09.2021 to 28.09.2026
7. The Licence shall be subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified from time to time in the Rules made under the Drugs and Cosmeties Act. 1940.

State Drugs Controller-Cum-
Chief Licensing Authority, Bihar, Patna.

* Delete, whichever is not applicable.

Central Licence Approving Authority,

Conditions of Licence

1. This licensee shall neither collect blood from any professional donor or paid donor nor shall he prepare bollod components from the blood collected from such a donor.
2. The licence and any certificate of renewal in force shall be displayed on the apoorved premises and the original shall be produced at the request of an Inspector appointed under the Drugs and cosmeties Act. 1940.
3. Any change in the technical staff shall be forth with reported to the Licensing Authority and/or Central Licence Approving Authority.
4. The licensee shall inform the Licensing Authority and/or Central Licence Approving Authority in Writing in the event of any change in the constitution of the firm operating under the licence. Where any change in the constitution of the firm takes place, the current licence shall be deemed to be valid for maximum period of three months from the date on which the change has taken place unless, in the meantime, a fresh licence has been taken from the Licensing Authority and/or Central Licence Approving Authority in the name of the firm with the changed constitution.

परिशिष्ट–II

संख्या 12/प०क्यू०–04–93/2021–106(12)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनन्द प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 8 फरवरी, 2022 (ई०)।

विषय-–श्री संजय सरावगी, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 473 (द–107) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित उत्पन्न आश्वासन संख्या 223/21 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री संजय सरावगी, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 473 (द–107) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित उत्पन्न आश्वासन संख्या 223/2021 के प्रसंग में कहना है कि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर कंसी पर डॉ० कृष्ण दयाल झा, एवं डॉ० प्रशान्त कुमार, एम०बी०बी०एस० चिकित्सक एवं डॉ० मयंक भूषण ठाकुर, आयुष चिकित्सक, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, सोनहान पर डॉ० धीरज कुमार एवं डॉ० नवीन कुमार एम०बी०बी०एस० चिकित्सक एवं डॉ० वसीम आयुष चिकित्सक, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, रानीपुर पर डॉ० रौशन कुमार, एम०बी०बी०एस० चिकित्सक एवं डॉ० रघुनाथ प्रसाद, आयुष चिकित्सक सप्ताह में दो दिन कार्यरत हैं। स्पष्ट है कि माननीय सदस्य बिहार विधान सभा के द्वारा पूछे गये उक्त तारांकित प्रश्न से उत्पन्न आश्वासन का कार्यान्वयन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन सं० 223/2021 को विलोपित करने हेतु राजकीय आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
आनन्द प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–III

संख्या 6/एन०-10-15/2022-332(6)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य निदेशालय

प्रेषक

डॉ० महेश्वर प्रसाद गुप्ता,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 19 मई, 2022 (ई०)।

विषय--श्री राम सिंह, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 1188 (द-215) में सन्निहित आश्वासन संख्या 527/21 के संबंध में ।

महाशय,

निदेशालय उपर्युक्त विषयक श्री राम सिंह, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 1188 (द-215) में सन्निहित आश्वासन संख्या 527/21 के संबंध में कहना है कि सिविल सर्जन, प० चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 653, दिनांक 21 अप्रील, 2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि 23 मार्च, 2020 से लगातार आजतक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैरोगंज (बगहा-1) प० चम्पारण में प्रसव कार्य कराया जा रहा है (प्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि श्री राम सिंह, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 1188 (द-215) में सन्निहित आश्वासन संख्या 527/21 को लंबित सूचि से विलोपित करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नकः-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
महेश्वर प्रसाद गुप्ता,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 653

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चि० पदा०,
प० चम्पारण, बेतिया।

सेवा में

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

बेतिया, दिनांक 21 अप्रील, 2022 (ई०)।

विषय--श्री राम सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 1188 (द-215) दिनांक 05 मार्च, 2021 में दिये गये आश्वासन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, बगहा-1 के पत्रांक 67, दिनांक 21 अप्रील, 2022 के क्रम में सादर सूचित करना है कि 23 मार्च, 2020 से लगातार आजतक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैरोगंज (बगहा-1) प० चम्पारण में प्रसव कार्य कराया जा रहा है ।

अतः सादर सूचनार्थ समर्पित ।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चि० पदा०,
प० चम्पारण, बेतिया।

सं० 393

कार्यालय, असैनिक शल्य चि०-सह-मुख्य चि० पदाधिकारी
प० चम्पारण, बेतिया

आदेश

बेतिया, दिनांक 1 मार्च, 2021

कार्यहित में श्रीमती गीता कुमारी, ए०एन०एम०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगहा 01 को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैरोगंज, (बगहा 01) में प्रसव कार्य करने हेतु अगले आदेश तक नामित किया जाता है।

यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

(ह०)अस्पष्ट,
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदा०,
प० चम्पारण, बेतिया।

परिशिष्ट–IV

संख्या 1/क्यू०-10-2021-477(1)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

डॉ० अमरेन्द्र प्रसाद, सिन्हा,
निदेशक प्रमुख,
(प्रशिक्षण, विशेषज्ञ चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
(राजकीय आश्वासन समिति),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 29 जून, 2022 (ई०)।

विषय--श्री संजय सरावगी, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 1218 (द-139)पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 539/21 के संबंध में ।

प्रसंग-- बिहार विधान सभा सचिवालय, राजकीय आश्वास समिति के पत्रांक 539/वि०स०, पटना, दिनांक 24 अगस्त, 2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन आश्वासन के आलोक में कहना है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दरभंगा में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का कार्य प्रगति प्रतिवेदन निम्नलिखित है:--

(i) Physical Progress - 85.15%
(ii) Financial Progress - 74.00%
(iii) Completion of Super Structure -100% completed
(iv) GF+3 is almost completed and can be functional for use Brickwork & plaster (Internal-99.5% completed.
(v) Finishing works in progress.
(vi) Balance work of HV AC/Electrical/Firefighting/plumbing/False Celling/BMS/Painting works in Progress.

विश्वासभाजक,

अमरेन्द्र प्रसाद, सिन्हा,
निदेशक प्रमुख,
(प्रशिक्षण, विशेषज्ञ चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट–V

ज्ञापांक 9/क्यू०-12-02/2021 330 (9)

दिनांक 26 मई, 2022

माननीय श्री ललित कुमार यादव, सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या 44 (अ०सू०-17) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 705/2021 पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का वक्तव्य ।

प्रस्तुत आश्वासन सं० 705/2021

माननीय अध्यक्ष महोदय,

अंग्रेजी समाचार-पत्र में दिनांक 11 फरवरी, 2021 को प्रकाशित "False Phone Numbers, Fake Name, How Bihar Covid Testing Data Got Infected" शीर्षक को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आंकड़े द्वारा कोरोना टेस्टिंग में व्यापक वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आया है, जिसमें पटना, जमुई, शेखपुरा एवं अन्य जिलों में कोरोना जाँच के नाम पर भारी अनियमितता उजागर हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार इस मामले की जाँच हेतु उच्चस्तरीय कमिटी गठन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आश्वासन सं० 705/2021

माननीय अध्यक्ष महोदय

सरकारी वक्तव्य

प्रस्तुत आश्वासन सं० 705/2021 के संबंध में सदन को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ, जो निम्न है :-

जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा जमुई जिले के विभिन्न प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाटा की जाँच जिलास्तरीय पदाधिकारियों द्वारा करायी गयी। जमुई जिले के बरहट एवं सिकन्दरा प्रखण्डों के कोविड-19 की जाँच डाटा में अनियमितता किये जाने की सूचना जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा उनके पत्रांक 168/गो०, दिनांक 12 फरवरी, 2021 के द्वारा दी गयी है। इस आलोक में निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को विभाग द्वारा निलम्बित करते हुये उनके विरुद्ध विभागीग कार्यवाही संचालित की गयी, जो निष्पादन की प्रक्रिया में है :-

(क) डॉ० विजयेन्द्र सत्यार्थी, सिविल सर्जन, जमुई।

(ख) डॉ० विमल कुमार चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, जमुई-सह-प्रभारी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जमुई।

(ग) डॉ० नन्द कुमार मंडल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बरहट, जमुई ।

(घ) डॉ० शाजीद हुसैन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, सिकन्दरा, जमुई।

इसके साथ ही श्री सुधांशु नारायण लाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जमुई के विरुद्ध जिला स्तर से कार्रवाई की गयी है।

इसके अतिरिक्त बरहट एवं सिकन्दरा प्रखण्ड के निम्नांकित कर्मियों के विरुद्ध जिला स्तर से कार्रवाई की गयी है :-

बरहट प्रखण्ड

1. श्री संजीत कुमार, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक
2. श्री विनोद कुमार मंडल, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी

3. श्रीमती गुड़िया कुमारी, ए०एन०एम०
4. श्रीमती गोल्डेन, ए०एन०एम०
5. श्री संजय कुमार, लैब टेक्निशियन
6. श्री उमेश कुमार, फार्मासिस्ट
7. श्रीमती संगीता कुमारी, ए०एन०एम०
8. श्री विमल कुमार, डाटा ऑपरेटर
9. श्री चंदन कुमार, डाटा ऑपरेटर

सिकन्दरा प्रखंड

1. डॉ० अनवर, चिकित्सा पदाधिकारी,
2. डॉ० विश्वजीत, चिकित्सा पदाधिकारी
3. श्री प्रमोद कुमार, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी
4. श्री पंकज कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक,
5. श्रीमती किरण कुमारी, जी०एन०एम०
6. श्रीमती मधु कुमारी, जी०एन०एम०
7. श्री धर्मेन्द्र कुमार, वरीय उपचार पर्यवेक्षक
8. श्रीमती मुनचुन कुमारी, ए०एन०एम०
9. श्री अरूण कुमार, लैब टेक्निशियन
10. श्री धमेन्द्र कुमार, फार्मासिस्ट
11. श्रीकान्त, फार्मासिस्ट
12. मो० अलाउद्दीन नट, स्वास्थ्य कर्मी

राज्य के शेष सभी जिला के कोविड-19 के डाटा की जाँच विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं जिला के पदाधिकारियों द्वारा कराया गया। अन्य किसी भी जिले में कोविड-19 की जाँच की डाटा संधारण में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी।

परिशिष्ट–VI

संख्या 6/एन०-10-16/2022-331(6)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य निदेशालय

प्रेषक

डॉ० महेश्वर प्रसाद गुप्ता,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 19 मई, 2022 (ई०)।

विषय--श्री विनय कुमार, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 1801 (द-134) में सन्निहित आश्वासन संख्या 721/21 के संबंध में ।

महाशय,

निदेशालय उपर्युक्त विषयक श्री विनय कुमार, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 1801 (द-134) में सन्निहित आश्वासन संख्या 721/21 के संबंध में कहना है कि निदेशालय पत्रांक 196(6), दिनांक 03 मार्च, 2022 द्वारा 10709 (दस हजार सात सौ नौ) रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना भेज दी गयी है (प्रति संलग्न)।

अत: अनुरोध है कि श्री विनय कुमार, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 1801 (द-134) में सन्निहित आश्वासन संख्या 721/21 को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
महेश्वर प्रसाद गुप्ता,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

संख्या 6/N-15-9/2020-196(6)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य निदेशालय

प्रेषक

डॉ० महेश्वर प्रसाद गुप्ता,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 03 मार्च, 2022 (ई०)।

विषय--ए०एम०एम० संवर्ग में भर्ती हेतु रिक्तियों की अधियाचना भेजे जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशालय उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि ए०एम०एम० के 10709 (दस हजार सात सौ नौ) रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

इस संदर्भ में 10709 (दस हजार सात सौ नौ) रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षण कोटि के साथ अधियाचना इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नन मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली 2018 (प्रतिलिपि संलग्न) में निहित भर्ती प्रक्रिया के आलोक में ए०एम०एम० के 10709 (दस हजार सात सौ नौ) रिक्त पदों के लिये चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसित सूची स्वास्थ्य विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
महेश्वर प्रसाद गुप्ता,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–VII

संख्या 10/प्र० (वि०सं०)-14-27/2021-105(10)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

शैलेश कुमार,
सरकार के उप-सचिव,
स्वास्थ्य विभाग ।

सेवा में,

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा,
पटना ।

पटना, दिनांक 20 मई, 2022 (ई०)।

विषय--श्री राज कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० का अल्पसूचित प्रश्न सं० 23 से उत्पन्न सरकारी आश्वासन संख्या 1145/21 को विलोपित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशालय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योग शिविर आयोजन से संबंधित मामले की विस्तृत समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया है कि प्रारम्भ में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में अनुमान्य था, परन्तु वर्ष 2014-15 से इसके लिये मात्र 6 जिलों यथा पटना, वैशाली, मोतिहारी, दरभंगा, जमुई एवं सहरसा से आवंटनादि की मांग की गयी। पुनः वर्ष 2020-21 में 5 जिलों यथा पटना, वैशाली, मोतिहारी, दरभंगा एवं जमुई से ही आवंटन की माँग की गयी। जिससे स्पष्ट है कि अन्य जिलों में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं है। जिन जिलों से इस कार्यक्रम के लिये आवंटनादि की मांग की जाती रही है, उन जिलों में भी आयोजित कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं परिणाम की समीक्षा की स्थायी व्यवस्था नहीं की गयी है, जिससे लोगों को अपेक्षित लाभ प्राप्त होने की सूचना नहीं है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में उक्त सभी जिलो में योग शिविर कार्यक्रम संचालन सहित इसके अवधि विस्तार एवं आवंटन इत्यादि कार्रवाई पर रोक विभागीय पत्रांक 03(07), दिनांक 04 अप्रील, 2022 द्वारा लगा दी गयी है। अतः मानदेय में बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं है।

अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि आश्वासन संख्या 1145/21 को आवश्वासन की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,

शैलेश कुमार,
सरकार के उप-सचिव ।

परिशिष्ट–VIII

संख्या 11/महा०(क्यू०)बि०वि०स०–11/2021–1037(11)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 (ई०)।

विषय––माननीया श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न 2634 (पुन–59) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 1160/21 के कार्यान्वयन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

प्रसंग––आपका पत्रांक 1160, दिनांक 02 सितम्बर, 2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आश्वासन संख्या 1160/21 के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सूचित करना है कि स्व० दिनेश कापर, ग्रा०-कचोर, प्रखण्ड-सोनबरसा, जिला-सीतामढ़ी की कोविड–19 से मृत्योपरांत उनके परिजन को आपदा मद से चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 को जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के स्तर से कर दी गयी है ।

अत: अनुरोध है कि माननीया श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न 2634 (पुन–59) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 1160/21 को क्रियान्वित माना जाये और इसे लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट–IX

संख्या 6/एन०-10-14/2021-1090(6)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

डॉ० राकेश चन्द्र सहाय वर्मा,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 30 सितम्बर, 2022 (ई०)।

विषय—श्री राकेश कुमार रौशन, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० द-26 (403) में सन्निहित आश्वासन संख्या 1470/21 के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन माननीय मंत्री स्वास्थ्य के द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन के आलोक में श्रीमती ईला दास, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्या, ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर, नालन्दा के अनुपस्थिति एवं अन्य आरोपों की जाँच सिविल सर्जन, नालन्दा द्वारा गठित संयुक्त जाँच दल के द्वारा किया गया जिसमें श्रीमती ईला दास के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः अनुरोध है कि इसे आवश्वासन सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
राकेश चन्द्र सहाय वर्मा,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–X

संख्या 6/एन०-10-13/2021-334(6)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

डॉ० महेश्वर प्रसाद गुप्ता,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 19 मई, 2022 (ई०)।

विषय--श्री दामोदर रावत, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० द-21(492) के सन्निहित आश्वासन संख्या 1519/21 के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 1010(6), दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के द्वारा जी०एन०एम० संस्थान, महुली, जमुई को 60 सीटों पर नामांकन हेतु मान्यता प्रदान किया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या 834(6), दिनांक 07 अगस्त, 2021 के द्वारा श्रीमती ममता कुमारी, ट्यूटर को शैक्षणिक कार्य हेतु पदस्थापित किया गया है तथा विभागीय पत्रांक संख्या 1218(6), दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 द्वारा गैर-शैक्षणिक कार्य हेतु एक लिपिक तथा एक चतुर्थवर्गीय कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। वर्तमान सत्र में 60 सीटों के विरुद्ध 58 छात्र/छात्राओं का अबतक नामांकन किया जा चुका है।

विभागीय पत्रांक 806 (6), दिनांक 27 जुलाई, 2021 द्वारा दिया गया सरकारी आश्वासन कार्यान्वित किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि इसे आश्वासन सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
महेश्वर प्रसाद गुप्ता,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–XI

संख्या 3/क्यू०-1/2022-311(3)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

शैलेश कुमार,
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा,
पटना ।

पटना, दिनांक 28 जून, 2022 (ई०)।

विषय--श्री नन्द किशोर यादव, माननीय स०वि०स० का तारांकित प्रश्न सं० द-21, दिनांक 4 मार्च, 2022 से उत्पन्न सरकारी आश्वासन संख्या 271/22 को विलोपित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है श्री गुरू गोविन्द सिंह, सदर अस्पताल, पटना में अधीक्षक के पद पर विभागीय अधिसूचना सं० 220(3), दिनांक 11 मई, 2022 से डॉ० राजेश रंजन चौधरी का पदस्थापन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि आश्वासन संख्या 271/2022 को आवश्वासन की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक:-विभागीय अधिसूचना सं० 220(3), दिनांक 11 मई, 2022

विश्वासभाजन,
शैलेश कुमार,
सरकार के उप-सचिव ।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
11 मई, 2022

संख्या 3/विविध -01-51/2018-220(3)/स्वा०—बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग/चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग/दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों, जो स्तंभ 4 में अंकित संस्थान में पदस्थापित हैं, को प्रशासनिक दृष्टिकोण/कार्यहित में कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्तंभ 5 में अंकित पद पर अपने ही वेतनमान में तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :--

क्र०	नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित पद एवं स्थान
1	2	3	4	5
1	डॉ० अविनाश कुमार सिंह	भागलपुर	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना ।	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा ।
2	डॉ० किशोर कुमार मधुप	सुपौल	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा ।	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा ।
3	डॉ० उमेश चन्द्र शर्मा	सारण	चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पारू, मुजफ्फरपुर ।	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ।
4	डॉ० मिहिर कुमार वर्मा	सहरसा	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल ।	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।
5	डॉ० सुनील कुमार	सारण	पदस्थापन की प्रतीक्षा में (मुख्यालय) स्वास्थ्य विभाग।	अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, पटना ।
6	डॉ० अंजु सिंह	पटना	सहायक प्राध्यापक, दंत चिकित्सा विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	सहायक प्राध्यापक, दंत चिकित्सा विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना ।
7	डॉ० रजत मिश्रा	मुजफ्फरपुर	सहायक प्राध्यापक फार्मालॉजिकल विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर ।	सहायक प्राध्यापक फार्मालॉजिकल विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, एवं अस्पताल, पटना ।
8	डॉ० राजीव रंजन	पटना	सहायक प्राध्यापक न्यूरो सर्जरी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा।	सहायक प्राध्यापक न्यूरो सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
9	डॉ० अपर्णा सिंह	पटना	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशेश्वर-स्थान पूर्वी, दरभंगा।	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस० एम०/एम०सी०एच०, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
10	डॉ० हिमांशु कुमार	सारण	चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ, पटना।	चिकित्सा पदाधिकारी, इन्दिरा गाँधी पटना हृदय रोग संस्थान, पटना
11	डॉ० ऋचा तुलस्यान	मुजफ्फरपुर	दंत चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरिया, गया।	दंत चिकित्सा पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर ।

क्र०	नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित पद एवं स्थान
1	2	3	4	5
12	डॉ० देवदास चौधरी	पटना	सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जहानाबाद।	अधीक्षक, सदर अस्पताल, जहानाबाद
13	डॉ० गोपाल कृष्णा	मुंगेर	उपाधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।	अधीक्षक, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।
14	डॉ० राजेश रंजन चौधरी	नालंदा	सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना।	अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना ।
15	डॉ० शैलेन्द्र कुमार वर्मा	पटना	चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, वैशाली।	अधीक्षक, सदर अस्पताल, वैशाली ।
16	डॉ० प्रदीप कुमार मिश्र	दरभंगा	दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गिरियक, नालंदा ।	दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोघरडीहा, मधुबनी।
17	डॉ० राजीव अम्बष्ठ	झारखण्ड	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी,(ई० एन०टी०), बगहा, पश्चिम चम्पारण ।	जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, गया ।
18	डॉ० महेन्द्र प्रसाद चौधरी	झारखण्ड	चिकित्सा पदाधिकारी, (प्रभारी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बखरी, बेगूसराय।	जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जमुई ।
19	डॉ० साजिद हुसैन	नवादा	चिकित्सा पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर ।	जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, शेखपुरा।
20	डॉ० अनिल कुमार	नालंदा	चिकित्सा पदाधिकारी, लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।	चिकित्सा पदाधिकारी, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना ।

2. उपर्युक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारी अधिसूचना निर्गत की तिथि से स्वतः विरमित समझे जायेंगे। साथ ही उन्हें यह निदेश दिया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर तुरंत योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के संबंध में पूर्व से निर्गत अधिसूचना इस हद तक अवक्रमित समझी जायेगी ।

4. उपर्युक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारियों/चिकित्सक शिक्षकों/दंत चिकित्सकों के वेतनादि का भुगतान उनके नव-पदस्थापित स्थान से किया जायेगा।

5. क्रमांक 17, 18 एवं 19 पर अंकित जिलों यथा-गया, जमुई, शेखपुरा में पूर्व से पदस्थापित जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी मुख्यालय (स्वास्थ्य विभाग) में अपना योगदान करेंगे।

6. उक्त पदस्थापित चिकित्सकों में से वैसे चिकित्सक जिनका त्याग-पत्र स्वीकृत हो चुका है/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किया जा चुका है/निधन हो चुका है, के संबंध में उक्त पदस्थापन मान्य नहीं होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेश कुमार,
सरकार के उप-सचिव।

परिशिष्ट–XII

संख्या 6/एन०-10-02/2022-617(6)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य निदेशालय

प्रेषक

डॉ० महेश्वर प्रसाद गुप्ता,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

सेवा में,

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 8 जुलाई, 2022 (ई०)।

विषय--श्रीमती स्वर्णा सिंह, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० द-88(1161) के सन्निहित आश्वासन संख्या 272/22 के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 1009(6), दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के द्वारा ए०एन०एम० स्कूल, बिरौल, दरभंगा को 60 सीटों पर नामांकन हेतु मान्यता प्रदान किया गया है। संस्थान में शैक्षणिक कार्य हेतु तीन नियमित/प्रतिनियुक्त/संविदागत ट्यूटर पदस्थापित हैं तथा विभागीय पत्रांक संख्या 1218(6), दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 द्वारा गैर-शैक्षणिक कार्य हेतु एक लिपिक तथा एक चतुर्थवर्गीय कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। वर्तमान सत्र में 60 सीटों के विरुद्ध 45 छात्राओं का नामांकन किया जा चुका है तथा संस्थान में पठन-पाठन सुचारू रूप से संचालित है।

विभागीय पत्रांक 169(6), दिनांक 25 फरवरी, 2022 द्वारा दिया गया सरकारी आश्वासन कार्यान्वित किया जा चुका है ।

अत: अनुरोध है कि इसे आश्वासन सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
महेश्वर प्रसाद गुप्ता,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–XIII

संख्या 11/फिजियो(क्यू०)वि०स०-9/2022-208(11)/ स्वा०

निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० राकेश चन्द्र सहाय वर्मा,
निदेशक प्रमुख,
(रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य, पारा मेडिकल),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 13 मार्च, 2023 (ई०)।

विषय--माननीय श्री महबूब आलम, स०वि०स० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या-608 (द-53), दिनांक 04 मार्च, 2022 से उत्पन्न सरकारी आश्वासन संख्या 347/22 के कार्यान्वयन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आश्वासन संख्या 347/22 के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभाग आदेश पत्रांक 576(11), दिनांक 30 जून, 2022 के द्वारा कुल 82 अकुपेशनल थेरापिस्ट एवं ज्ञापांक 1146 (11), दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 के द्वारा 118 फिजियोथेरापिस्टों की पदस्थापन/नियुक्ति की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न)।

अत: अनुरोध है कि माननीय श्री महबूब आलम, स०वि०स० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या-608 (द-53), दिनांक 04 मार्च, 2022 से उत्पन्न सरकारी आश्वासन संख्या 347/22 को कार्यान्वयन माना जाये और इसे लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

अनु० यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
राकेश चन्द्र सहाय वर्मा,
निदेशक प्रमुख,
(रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य, पारा मेडिकल),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

संख्या 11/अकु०(स्था०)-05/2022 576(11)/स्वा०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

30 जून, 2022

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 984, दिनांक 12 मई, 2022 के द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2020 (अकुपेशनल थेरेपिस्ट) के आलोक में कुल 82 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुयी। प्राप्त अनुशंसित सफल अभ्यर्थियों को "बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014" (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमवाली, 2019 के अन्तर्गत "अकुपेशनल थेरापिस्ट" के मूल कोटि के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-6 अनुमान्य महंगाई भत्ता एवं देय अन्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान "अकुपेशनल थेरापिस्ट" के रूप में निम्नांकित कंडिकाओं में वर्णित शर्तों के तहत औपबंधिक रूप में नियुक्त करते हुये स्तंभ-9 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :—

S. No.	Registration Number	Candidate Name	Father/Husband Name	Gender	Category	Date of Birth	Home District	Selection Category	Posting Place	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Category UR					
1	BR00150200000229	PUSHPA KUMARI	PRIYADARSHI SACHIN KUMAR	Female	BC	05-12-1980	PURNIA	UR	Viklang Bhawan, Patna.	
2	BR00150200000558	KESHAWA NAND	KUMODA NAND JHA	Male	General	04-01-1980	MADHEPURA	UR	Sadar Hospital, Araria.	
3	BR00150200000323	MD BABER ALI	MD ALAUDDIN	Male	EBC	27-01-1980	PURNIA	UR	Government Medical College, Purnia.	
4	BR00150200000473	RAJEEV KUMAR	KUSHESHWAR THAKUR	Male	General	28-02-1983	SAMASTI PUR	UR	Sub-divisional Hospital, Pakridyal, East Champaran.	
5	BR00150200000605	SUBODH KUMAR DIWAKAR	BINESHWAR RAM	Male	EBC	19-08-1975	PATNA	UR	PMCH, Patna.	
6	BR00150200000609	ANISH KUMAR	SIDHESHWAR PRASAD	Male	BC	05-02-1978	NALANDA	UR	LNJP Hospital, Rajbanshi Nagar, Patna.	
7	BR00150200000602	SANJAY KUMAR	RAMJI PRASAD	Male	BC	12-02-1970	NALANDA	UR	LNJP Hospital, Rajbanshi Nagar, Patna.	
8	BR00150200000153	PRABHAKAR KUMAR	RAM NARESH SINGH	Male	EWS	15-12-1985	PATNA	UR	NMCH, Patna.	
9	BR00150200000332	TRISHA CHAKRA BORTY	RANJAN CHAKRABORTY	Female	General	10-12-1966	DARBHANGA	UR	Sub-divisional Hospital, Jayanagar, Madhubani.	
10	BR00150200000257	PRATUSH KUMAR	RAM KRIPAL RAUT	Male	BC	14-08-1983	MADHUBANI	UR	DMCH Darbhanga.	
11	BR00150200000596	MD GUFRANULLAH	MD KALIMUZZAMAN	Male	EWS	11-05-1975	SAMASTI PUR	UR	DMCH Darbhanga.	
12	BR00150200000255	LAKSHMI KUMARI	DK PRASAD	Female	BC	16-11-1982	JEHANA BAD	UR	Sub-divisional Hospital, Barh, Patna.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	BR00150200000109	AJEET KUMAR	GANGA RAM CHOUDHARY	Male	BC	28-08-1982	PURNIA	UR	Sub-divisional Hospital, Barsoi, Katihar.	
14	BR00150200000241	SOMYAA SONI	LATE DR. SHIVNARAYAN MANDAL	Female	ST	08-09-1983	BHAGAL PUR	UR	LNJP Hospital, Rajbanshi Nagar Patna.	
15	BR00150200000346	PRAMOD KUMAR BHARTI	CHNDRIKA RAM	Male	SC	16-05-1984	GOPAL GANJ	UR	Viklang Bhawan, Patna.	
16	BR00150200000398	DEO PRAKASH	INDRADEO VISHWA KARMA	Male	EBC	02-01-1979	PATNA	UR	NMCH, Patna.	
17	BR00150200000457	SHILPA TRIPATHI	KESHAW PRASAD TRIPATHI	Female	GENERAL	11-01-1988	WEST DELHI	UR	Sub-divisional Hospital, Vikramganj Rohtash.	
18	BR00150200000634	VISHWAJEET SUMAN	AWADH RAM	Male	SC	03-04-1974	JEHANA BAD	UR	Sub-divisional Hospital, Nawada.	
19	BR00150200000482	RAVI RANJAN	RAJENDRA PRASAD	Male	GENERAL PH-OH	08-08-1978	PATNA	UR	Sadar Hospital Chapra, Saran.	
20	BR00150200000582	KUMARI ILA	REWAT LAL YADAV	Female	BC	14-02-1975	PURNIA	UR	Government Medical College, Purnia.	
21	BR00150200000320	PAWAN KUMAR	SRI CHANDESHW AR PRASAD	Male	BC	01-01-1981	NALANDA	UR	Sub-divisional Hospital, Mazhaul, Begusarai.	
22	BR00150200000587	MANJU SHREE	BISHNU CHANDRA PRASAD	Female	EBC	08-05-1971	BUXAR	UR	LNJP Hospital, Rajbanshi Nagar, Patna.	
23	BR00150200000431	PRANAV PRABHA	SUNIL KUMAR	Male	BC	01-03-1987	MUNGER	UR	Sub-divisional Hospital, Dalsinghsarai, Samastipur.	
24	BR00150200000574	RAJNESH CHANDRA VIDIARTHI	SHREE CHHOTAN PRASAD	Male	GENERAL	31-12-1969	PATNA	UR	BIMHAS Koilwar, Bhojpur.	
25	BR00150200000231	SUJEET KUMAR	BINOD PRASAD	Male	BC	18-12-1984	NALANDA	UR	Sadar Hospital, Gopalganj.	
26	BR00150200000474	TAPPAN KUMAR PANDAV	SHASHI BHUSHAN PASWAN	Male	SC	17-09-1983	BEGUSARAI	UR	Sadar Hospital, Bhagalpur.	
27	BR00150200000436	SABRA TARANNUM	MD NASAR IMAM	Female	GENERAL PH-OH	25-01-1986	ARARIA	UR	Sub-divisional Hospital, Dhandaha, Purnia.	
28	BR00150200000127	PREMLATA KUMARI	VISHWA RANJAN BHARTI	Female	EBC	21-02-1990	SUPAUL	UR	LNJP Hospital, Rajbanshi Nagar, Patna.	
29	BR00150200000207	SAQUEBA SHAHI	SHAHID ALAM	Female	GENERAL	15-05-1994	PURNIA	UR	Sadar Hospital, Katihar.	
30	BR00150200000129	RAJNI PANDEY	KRISHAN KUMAR PANDEY	Female	GENERAL	25-06-1995	WEST DELHI	UR	Sadar Hospital, Kaimur.	
31	BR00150200000189	ANKITA SHARMA	RAJ KUMAR SHARMA	Female	EBC	16-07-1995	SIWAN	UR	Sub-divisional Hospital, Jagdispur, Bhojpur.	

Category EWS										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BR00150200000468	AJIT KUMAR THAKUR	BALESHWAR THAKUR	Male	EWS	03-11-1980	SAMASTIPUR	EWS	Sadar Hospital, Begusarai.	
2	BR00150200000664	AVNISH KUMAR	INDRADEO SHARMA	Male	EWS	12-10-1980	BEGUSARAI	EWS	Sadar Hospital, Samastipur.	
3	BR00150200000614	AMIT KUMAR SINGH	ARVIND KUMAR SINGH	Male	EWS	01-03-1977	VAISHALI	EWS	PMR, PMCH, Patna.	
4	BR00150200000083	KUMAR GAURAV	ARVIND PRASAD SINGH	Male	EWS	31-12-1991	BEGUSARAI	EWS	Sadar Hospital, Motihari.	
5	BR00150200000437	NAUMAN PERWAIZ	PERWAIZ ALAM	Male	EWS	29-12-1983	MUZAFFAR PUR	EWS	Sub-divisional Hospital,Areraj, East Champaran.	
6	BR00150200000341	MD EHASAN	MD REZAUR RAHMAN	Male	EWS	10-01-1990	DARBHANGA	EWS	Sadar Hospital, Vaishali.	
7	BR00150200000096	GOPAL SHARAN	MADAN KUMAR SINGH	Male	EWS	15-02-1990	SAHARSA	EWS	Sadar Hospital, Supaul.	
8	BR00150200000641	ANAMIKA RAJ	RAJ KISHOR SINGH	Female	EWS	09-09-1994	BHOJPUR	EWS	Sadar Hospital, Rohtas.	
9	BR00150200000118	SHUBHAM PRIYA	MANOJ KUMAR	Female	EWS	18-01-1996	VAISHALI	EWS	Sub-divisional Hospital, Balia, Begusarai.	
Category BC										
1	BR00150200000625	CHANDRA SHEKHAR KUMAR	KAMLA MAHTO	Male	BC	01-01-1976	BHAGALPUR	BC	JLNMCH, Bhagalpur.	
2	BR00150200000447	AMIT KUMAR	SRI JANARDHAN PRASAD SINGH	Male	BC	10-01-1981	LAKHI SARAI	BC	Sub-divisional Hospital, Kahalgaon, Bhagalpur.	
3	BR00150200000243	UDAY KUMAR	RAM BAYAS YADAV	Male	BC	20-06-1980	AURANGA BAD	BC	Sub-divisional Hospital, Dehri Rohtash.	
4	BR00150200000452	SANJIV KUMAR	SHIV SHANKAR PRASAD SINGH	Male	BC	01-01-1982	BEGUSARAI	BC	JLNMCH, Bhagalpur.	
5	BR00150200000562	SUMAN RANJAN	RAM NANDAN PRASAD	Male	BC	05-11-1977	NALANDA	BC	LNJP Hospital, Rajbanshi Nagar, Patna.	
6	BR00150200000665	SANJEEV KUMAR	KARAMCHAND PRASAD	Male	BC	12-11-1975	NALANDA	BC	Sub-divisional Hospital, Sherghati, Gaya.	
7	BR00150200000432	RAVINDRA KUMAR RAVI	BHAGWAN LAL YADAV	Male	BC PH-OH	05-08-1984	MADHUBANI	BC	Sub-divisional Hospital, Nirmali, Supaul.	
8	BR00150200000297	SHIKHA KUMARI	SHYAM KARAN RAY	Female	BC	10-01-1987	PATNA	BC	VM Medical College, Pawapuri,Nalnda.	
9	BR00150200000307	POONAM KUMARI	LALAN SINGH	Female	BC	28-02-1988	PATNA	BC	Sub-divisional Hospital. Mahua, Vaishali.	
10	BR00150200000059	SABITA KUMARI	JOKHAN SINGH	Female	BC	12-10-1991	ROHTAS	BC	ANMCH, Gaya.	
Category EBC										
1	BR00150200000597	MANOJ KUMAR	RAJENDRA PRASAD GUPTA	Male	EBC	02-10-1974	DARBHANGA	EBC	DMCH, Darbhanga.	
2	BR00150200000405	PINTU KUMAR	SHIV SHANKAR PRASAD	Male	EBC	21-03-1980	NAWADA	EBC	Sadar Hospital, Shekhpura.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	BR00150200000106	NARENDRA KUMAR	CHANDRA DEV THAKUR	Male	EBC	04-01-1981	MADHUBANI	EBC	SKMCH, Muzaffarpur.	
4	BR00150200000581	ROHIT KUMAR PRASAD	RAJENDRA PRASAD	Male	EBC	08-02-1979	PATNA	EBC	BIMHAS, Koilwar, Bhojpur.	
5	BR00150200000670	SATYA PRAKASH SAH	MANIK PRASAD	Male	EBC	13-07-1978	MADHUBANI	EBC	Sadar Hospital, Sitamarhi.	
6	BR00150200000324	SHWETA SONAM	RAMESHWAR SAHU	Female	EBC	24-07-1987	SUPAUL	EBC	JKTCH Madhepura.	
7	BR00150200000678	RANDHIR LAL RANJAN	BABU LAL SHARMA	Male	EBC	01-03-1979	BHAGALPUR	EBC	Sadar Hospital, Madhepura.	
8	BR00150200000334	ANJALI SHARMA	JAY PRAKASH THAKUR	Female	EBC	05-04-1990	PATNA	EBC	Sadar Hospital, Bhojpur.	
9	BR00150200000299	SHAUKAT ALI	GYASUDDIN	Male	EBC	01-12-1985	PURNIA	EBC	Sub-divisional Hospital. Banmankhi, Purnia.	
10	BR00150200000148	PRIYANKA KUMARI	OM PRAKASH GUPTA	Female	EBC	16-02-1987	PATNA	EBC	Sadar Hospital, jahanabad.	
11	BR00150200000273	JYOTI RANJANA	UPENDRA PRASAD	Female	EBC	02-02-1992	PATNA	EBC	BIMHAS, Koilwar, Bhojpur.	
12	BR00150200000413	KUNAL GAURAV	BINOD KUMAR GUPTA	Male	EBC	02-03-1988	PATNA	EBC	Sadar Hospital, Aurangabad.	
13	BR00150200000442	NARAD PRAJAPATI	KHIRU PRASAD	Male	EBC	26-04-1982	GOPALGANJ	EBC	GMCH, Betiah.	
14	BR00150200000583	YUKTA SHREE	SUBODH CHANDRA BHAGAT	Female	EBC	19-01-1994	DARBHANGA	EBC	Sadar Hospital, Shaharsha.	
15	BR00150200000626	JABEEN BANO	ABDUR RAZZAQUE	Female	EBC	20-05-1978	BHAGALPUR	EBC	Viklang Bhawan, Patna.	
16	BR00150200000089	DIKSHA KUMARI	NARESH KUMAR	Female	EBC	08-10-1995	BHOJPUR	EBC	Sadar Hospital, Rohtash.	
					Category SC					
1	BR00150200000445	PREM KUMAR	SHANKAR BAITHA	Male	SC	18-03-1987	PURBI CHAMPARAN	SC	GMCH, Betiah.	
2	BR00150200000585	GANESH KUMAR	RAM SWARUP PASWAN	Male	SC	05-01-1976	SAHARSA	SC	Sadar Hospital, Medhpura.	
3	BR00150200000417	AVINASH KUMAR	RAM PRASAD RAJAK	Male	SC	24-10-1979	MADHEPURA	SC	Sub-divisional Hospital, Simri, Bakhtiyarpur, Saharsa.	
4	BR00150200000440	VIKASH KUMAR	RAM DEO PASWAN	Male	SC	02-11-1984	SITAMARHI	SC	Sub-divisional Hospital, Bagha, West Champaran.	
5	BR00150200000493	KUMARI CHANDAN	JAYKESH KUMAR	Female	SC	15-12-1988	SIWAN	SC	LNJP Hospital Rajbanshi Nagar, Patna.	
6	BR00150200000329	RAJEEV KUMAR	KRISHNESWAR RAM	Male	SC	30-06-1978	ARWAL	SC	PMCH, Patna.	
7	BR00150200000446	MANOJ KUMAR BHARATI	MADAN MOHAN PRASAD	Male	SC	15-02-1980	BUXAR	SC	Guru Govind Singh Hospital Patna City, Patna.	
8	BR00150200000162	PRITI	DEVENDRA KUMAR	Female	SC	05-03-1988	ROHTAS	SC	Sadar Hospital, Aurangabad.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	BR00150200000278	SAJJAN KUMAR	YOGENDRA PASWAN	Male	SC	02-01-1980	PATNA	SC	BCPO, Patna.	
10	BR00150200000150	RAVI SHANKAR AZAD	SHASHI BHUSHAN KUMAR	Male	SC	15-08-1994	PATNA	SC	Sub-divisional Hospital, Daudnagar, Aurangabad.	
11	BR00150200000158	SANTOSH KUMAR	BANKE PASWAN	Male	SC	15-12-1979	PATNA	SC	Sadar Hospital, Nalanda, Biharsharif.	
12	BR00150200000206	ANITA KUMARI	CHANDRA SHEKHAR KUMAR	Female	SC	15-08-1992	SITAMARHI	SC	Sadar Hospital, Madhubani.	
13	BR00150200000339	RAJMANI KUMARI	B D RAM	Female	SC	02-12-1988	BEGUSARAI	SC	Sadar Hospital, Khagaria.	
14	BR00150200000233	ALKA RANI	LALA RAJAK	Female	SC	20-07-1977	PATNA	SC	PMR PMCH, Patna.	
					Category WBC					
1	BR00150200000180	PRITI RANI	AKHILESH PRASAD	Female	BC	13-07-1987	NALANDA	WBC	LNJP Rajbanshi Nagar, Patna.	
2	BR00150200000191	EKTA KUMARI	RAJESH KUMAR	Female	BC	24-03-1992	GAYA	WBC	ANMCH, Gaya.	

1. यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है, पुलिस सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने/चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान की होगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का यह दायित्व होगा कि पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (PVR) से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/जाति प्रमाण-पत्र/अन्य अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत् कार्रवाई भी की जायेगी। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि वे अपने संस्थान में योगदान करने वाले नवपदस्थापित अकुपेशनल थेरापिस्ट के शैक्षणिक व अन्य प्रमाण-पत्रों का विधिवत सत्यापन करायेंगे।
3. योगदान के समय नवनियुक्त अकुपेशनल थेरापिस्ट को असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. सभी नवनियुक्त अकुपेशनल थेरापिस्ट सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919, दिनांक 18 जनवरी, 1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान करते समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त, 2005 एवं 768, दिनांक 03 जुलाई, 2007 के अनुसार इन कर्मियो पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

6. सभी नवनियुक्त अकुपेशनल थेरापिस्ट को यह निर्देश दिया जाता है कि नियुक्ति-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से आगामी 15 दिनों के अन्दर अपना योगदान पदस्थापित स्थान में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि की विस्तार हेतु साक्ष्य सहित सकारण आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

7. नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति-पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिये कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8. नवनियुक्त कर्मियों का प्रथम वेतनादि का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नवनियुक्त कर्मियों से संबंधित कागजातों, पुलिस सत्यापन, जाति प्रमाण-पत्र एवं पहचान के सत्यापन के उपरांत पूर्णरूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही करेंगे। कोई भी प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

9. निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं से संपुष्टि/सत्यापन के बाद वेतन का भुगतान किया जायेगा।

10. नियुक्ति प्रक्रिया में पायी गयी त्रुटि/भूल के सुधार का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा।

11. नियुक्ति-पत्र/पदस्थापन आदेश विभागीय वेबसाईट *https://state.bihar.gov.in/health* से डाउनलोड किये जा सकेंगे।

आदेश से,
राकेशचन्द्र सहाय वर्मा,
निदेशक प्रमुख,
(रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य, पारा मेडिकल)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

संख्या 11/फिजियो(स्था०)-38/2022/1146(11)/स्वा०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश
26 दिसम्बर, 2022

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 3172, दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 के द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2020 (फिजियोथेरापिस्ट) के आलोक में कुल 125 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुयी, जिसमें से सात (7) अभ्यर्थियों का पद सुरक्षित चयन लम्बित रखते हुये शेष 118 (एक सौ अठारह) अनुशंसित सफल अभ्यर्थियों को "बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग नियमावली 2014" (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 के अन्तर्गत फिजियोथेरापिस्ट के मूल कोटि के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर 6, अनुमान्य महंगाई भत्ता एवं देय अन्य भत्ता के साथ परीक्ष्यमान फिजियोथेरापिस्ट के रूप में निम्नांकित कंडिकाओं में वर्णित शर्तों के तहत औपबंधिक रूप में नियुक्त करते हुये स्तंभ 10 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है --

क्र० सं०	नाम	पंजीयन संख्या	जन्म तिथि	पिता/पति का नाम	गृह जिला	लिंग	कोटि	चयनित कोटि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	AMRESH KUMAR	BR00150210000258	02/01/1982	NAWAL PRASAD	VAISHALI	MALE	BC	UR	PLACE- GOVT TIBBI COLLEGE, DIS- PATNA.
2	PRAKASH KUMAR	BR00150210000871	19/02/1982	RAM SHARAN SAH	SITAMARHI	MALE	EBC	UR	PLACE-DESTRICT LEPROSY CONTROL UNIT DIS-DARBHANGA.
3	RAHUL SINGH	BR00150210000889	11/08/1981	JANARDAN JEE	PATNA	MALE	GENERAL	UR	PLACE-VIKLANG BHAWAN, BCPO, PATNA, PATNA, DIS- PATNA.
4	PRIYADARSHI SACHIN KUMAR	BR00150210001080	09/08/1980	YOGENDRA KUMAR	PURNIA	MALE	BC	UR	PLACE- GMC, PURNEA, PURNEA DIS- PURNEA.
5	KRISHNA MURARI	BR00150210002825	06/02/1981	SADANAND SINGH	LAKHISARAI	MALE	EWS	UR	PLACE- SADAR HOSPITAL, JAMUI DIS-JAMUI.
6	PRIYADARSHI KUMAR	BR00150210002168	01/10/1979	VINAY KUMAR	SAHARSA	MALE	BC	UR	PLACE-JNKTMCH, MADHEPURA, MADHEPURA, DIS-MADHEPURA.
7	RAMCHANDRA PASWAN	BR00150210002020	05/02/1983	GANESH PASWAN	SUPAUL	MALE	SC	UR	PLACE-SADAR HOSPITAL, MADHUBANI, DIS-MADHUBANI.
8	RATAN KUMAR	BR00150210003081	24/10/1971	SURENDRA PRASAD	PATNA	MALE	EWS	UR	PLACE-SUB DIVISIONAL HOSPITAL, BIKRAMGANJ, DIS-ROHTAS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	PANKAJ KUMAR	BR00150210000406	01/03/1980	UDAY SHANKAR PRASAD	PATNA	MALE	BC	UR	PLACE-SKMCH, MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR DIS- MUZAFFARPUR.
10	AJIT KUMAR	BR00150210001117	15/02/1981	JAGDISH SHARMA	PATNA	MALE	EBC	UR	PLACE-LNJPN, RAJVANSHI NAGAR, DIS-PATNA.
11	BHULAN SAH	BR00150210000082	25/09/1981	RAMDHARI SAH	MUZAFFAR PUR	MALE	EBC	UR	PLACE-VIKLANG BHAWAN, BCPO, PATNA, PATNA DIS-PATNA.
12	SHAILESH KUMAR	BR00150210002201	25/12/1984	ASHOK KUMAR SINGH	SARAN	MALE	GEN	UR	PLACE-VIKLANG BHAWAN, BCPO, PATNA, DIS-PATNA.
13	VANDNA KUMARI	BR00150210002737	09/02/1976	SURESH PRASAD SINGH	BEGUSARAI	FEMALE	GEN	UR	PLACE-LEPROSY PROGRAM, ACMO OFFICE, KHAGARIA DIS-KHAGARIA.
14	RAJIV KUMAR	BR00150210002290	08/12/1989	AJAY SINGH	PATNA	MALE	EWS	UR	PLACE- SADAR HOSPITAL, BIHAR SHARIF, DIS-NALANDA.
15	VIVEK CHOUDHARY	BR00150210002203	12/02/1984	VIDYAPATI CHOUDHARY	GAYA	MALE	GEN	UR	PLACE-SUB DIVISIONAL HOSPITAL, HILSA, DIS-NALANDA.
16	AMAN ANNU	BR00150210000854	31/10/1989	SUNIL PRASAD SINGH	KHAGARIA	MALE	EWS	UR	PLACE-RAJKIYA AUSDHALAYA, RAJBHAWAN, PATNA DIS-PATNA.
17	CHANDAN KUMAR GUPTA	BR00150210002699	14/08/1978	KASHI NATH PRASAD GUPTA	ROHTAS	MALE	BC	UR	PLACE-SUB DIVISIONAL HOSPITAL, PIRO DIS-BHOJPUR.
18	VIVEK KUMAR	BR00150210002329	15/02/1983	MITHILESH KUMAR	PATNA	MALE	EWS	UR	PLACE-PMR-PMCH, PATNA, PATNA DIS-PATNA.
19	MADHUMATI KUMARI	BR00150210002148	10/04/1980	MUKESH KUMAR	NALANDA	FEMALE	BC	UR	PLACE-VIKLANG BHAWAN, BCPO, PATNA, PATNA, DIS-PATNA.
20	RAJ KAPOOR SINGH	BR00150210002665	23/12/1971	ASHESWAR SINGH	VAISHALI	MALE	BC	UR	PLACE-SUB DIVISIONAL HOSPITAL, SONEPUR, DIS-SARAN.
21	VIJAY KUMAR	BR00150210002820	12/03/1979	BRAJ KISHOR PRASAD	NALANDA	MALE	BC	UR	PLACE-BCPO, PATNA, PATNA DIS-PATNA.
22	NIRAJ KUMAR	BR00150210002787	07/01/1982	OM PRAKASH SHANDILYA	JEHANABAD	MALE	EWS	UR	PLACE-PMCH, PATNA, PATNA, DIS-PATNA.
23	AJAY KUMAR SINGH	BR00150210002753	05/01/1977	RAMESHWA R SINGH	KAIMUR	MALE	EBC	UR	PLACE-SUB DIVISIONAL HOSPITAL, DUMRAON, DIS-BUXAR.
24	BHUDEV MUKTI	BR00150210002485	21/02/1987	DEVENDRA PD SHARMA	PATNA	MALE	GEN	UR	PLACE-BMIMS, PAWAPURI, NALANDA, NALANDA DIS-NALANDA.
25	VIKASH KUMAR	BR00150210002283	15/02/1982	LAKSHMAN PRASAD SINGH	PATNA	MALE	BC	UR	PLACE-SADAR HOSPITAL, LAKHISARAI, DIS-LAKHISARAI.
26	MRITUNJAY KUMAR	BR00150210002003	02/01/1984	CHANDRESW AR PRASAD SINGH	BHOJPUR	MALE	BC	UR	PLACE-LNJPN, RAJVANSHI NAGAR, PATNA, DIS-PATNA.
27	MADHUP KUMAR	BR00150210003026	11/10/1979	RADHIKA RAMAN PRASAD SINGH	PATNA	MALE	EWS	UR	PLACE-SADAR HOSPITAL BUXAR, DIS-BUXAR.
28	RAUSHNEE SINHA	BR00150210001997	31/12/1981	ANJANI NANDAN PRASAD	GAYA	FEMALE	EBC	UR	PLACE- SADAR HOSPITAL ARWAL, DIS-ARWAL.
29	PUJA KUMARI	BR00150210001590	08/12/1989	ASIM PRAKASH	ARARIA	FEMALE	GEN	UR	PLACE-SUB DIVISIONAL HOSPITAL, VEERPUR, DIS-SUPAUL.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	VINAY KUMAR	BR00150210002145	11/05/1983	VINOD KUMAR	LAKHISARAI	MALE	BC	UR	PLACE- SUB DIVISIONAL HOSPITAL, HAVELI KHARAGPUR DIS-MUNGER.
31	ARBIND KUMAR	BR00150210001009	20/04/1985	GANESH MAHTO	DARBHANGA	MALE	SC	UR	PLACE- SADAR HOSPITAL SITAMARHI DIS-SITAMARHI.
32	MD RAZA AHMAD RAZI	BR00150210002668	01/03/1977	MD RAZI UDDIN	ARARIA	MALE	EBC	UR	PLACE- SADAR HOSPITAL, KISHANGANJ DIS-KISHANGANJ.
33	AMARESH MAHARSHI	BR00150210002788	01/03/1976	UPENDRA SHARMA	SITAMARHI	MALE	GEN	UR	PLACE- SADAR HOSPITAL MOTIHARI, DIS-EAST CHAMPARAN.
34	ANISHA SAHNI	BR00150210001400	25/12/1989	RAVINDRA PRASAD	SITAMARHI	FEMALE	EBC	UR	PLACE- SUB DIVISIONAL HOSPITAL, RAXAUL, DIS-EAST CHAMPARAN.
35	RANDHIR KUMAR SINGH	BR00150210002154	01/01/1983	RAM CHANDRA SINGH	SAMASTIPUR	MALE	EWS	UR	PLACE-SUB DIVISIONAL HOSPITAL, TEGHRA DIS-BEGUSARAI.
36	IMRAN HUSSAIN	BR00150210000208	21/08/1989	MAZHAR HUSSAIN	PATNA	MALE	EBC	UR	PLACE-VIKLANG BHAWAN, BCPO, PATNA, PATNA. DIS-PATNA
37	VIKASH KUMAR	BR00150210001971	20/07/1986	SHAILENDRA OJHA	MUZAFFAR PUR	MALE	EWS	EWS	PLACE-SADAR HOSPITAL, SARAN DIS-SARAN.
38	TABASSUM NIGAR.	BR00150210002040	25/02/1982	WASI AHMAD	ARARIA	FEMALE	GEN	UR Femal e	PLACE-LEPROSY CONTROL UNIT, PURNEA DIS-PURNEA.
39	PRIYARANJAN LAL	BR00150210002178	08/02/1986	NANDLAL PRASAD	ARWAL	MALE	EBC	EBC	PLACE-LNJPN, RAJVANSHI NAGAR, PATNA DIS-PATNA.
40	PRAMOD KUMAR SINGH	BR00150210002835	20/01/1979	RAM BACHAN RAI	BUXAR	MALE	EWS	EWS	PLACE- SADAR HOSPITAL, KAIMUR, DIS-KAIMUR.
41	RAKESH KUMAR	BR00150210002044	20/09/1985	JAINARAYAN SINGH	GAYA	MALE	EWS	EWS	PLACE- SADAR HOSPITAL, AURANGABAD DIS-AURANGABAD.
42	KANIKA PRIYA	BR00150210002469	26/09/1989	KAULESHWA R RAVIDAS	GAYA	FEMALE	SC	UR FEMAL E	PLACE-BMIMS, PAWAPURI, NALANDA, NALANDA DIS-NALANDA.
43	SANTOSH KUMAR JHA	BR00150210002762	11/07/1978	RAGHAWA JHA	PURBI CHAMPARAN	MALE	EWS	EWS	PLACE- SADAR HOSPITAL, SHEOHAR DIS-SHEOHAR.
44	DEWBRAT	BR00150210002722	07/07/1978	PARAS NATH PRASAD	PURBI CHAMPARAN	MALE	EBC	EBC	PLACE-GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, WEST CHAMPARAN DIS-WEST CHAMPARAN.
45	MD ARSHAD ALI	BR00150210002217	21/03/1988	MD SALIMUDDIN	VAISHALI	MALE	EBC	EBC	PLACE-SKMCH, MUZAFFARPUR, MUZAFFARPUR DIS-MUZAFFARPUR.
46	MANOJ KUMAR	BR00150210002830	09/11/1975	JANARDAN PRASAD SAHU	PATNA	MALE	EBC	EBC	PLACE-SUB DIVISIONAL HOSPITAL, JAGDISHPUR DIS-BHOJPUR.
47	NITU KUMARI	BR00150210002043	12/06/1981	YOGENDRA HARIJAN	PASHCHIM CHAMPARAN	FEMALE	SC	UR FEMAL E	PLACE- SADAR HOSPITAL, GOPALGANJ DIS-GOPALGANJ.
48	DIPMALA	BR00150210002026	01/03/1985	RAJENDRA KUMAR PATEL	KHAGARIA	FEMALE	BC	UR FEMAL E	PLACE-DMCH, DARBHANGA, DARBHANGA DIS-DARBHANGA.
49	NILAY KUMAR	BR00150210002663	15/02/1982	SAHJANAND SINGH	PURNIA	MALE	EWS	EWS	PLACE-VIKLANG BHAWAN, BCPO, PATNA, PATNA DIS-PATNA.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	SIKANDAR KUMAR	BR00150210002205	18/10/1980	SHEO KUMAR SINGH	SUPAUL	MALE	EWS	EWS	PLACE-SUB DIVISIONAL HOSPITAL, BENIPATTI DIS-MADHUBANI.
51	AMRESH KUMAR	BR00150210000764	30/09/1981	RAMESH CHANDRA JAISWAL	PURBI CHAMPARAN	MALE	BC	BC	PLACE– NCD, WEST CHAMPARAN DIS-WEST CHAMPARAN.
52	KUMARI SNEHA SHYAMLA	BR00150210001120	19/03/1990	RAJ NANDAN KUMAR SHYAMLA	BEGUSARAI	FEMALE	SC	UR FEMALE	PLACE– NCD, WEST CHAMPARAN DIS-WEST CHAMPARAN.
53	MD IMRAN	BR00150210002081	15/11/1989	MD UMAIR AHMAD	GAYA	MALE	EWS	EWS	PLACE –ANMCH, GAYA, GAYA DIS-GAYA.
54	RAJIV RANJAN	BR00150210000574	16/08/1988	GANNU RAVI DAS	GAYA	MALE	SC	SC	PLACE –DISTRICT LEPROSY CONTROL UNIT, NAWADA DIS-NAWADA.
55	SATYENDRA GUPTA	BR00150210002048	24/01/1982	SHYAMDEO PRASAD	GOPALGANJ	MALE	EBC	EBC	PLACE –GMC, BETTIAH, WEST CHAMPARAN DIS- WEST CHAMPARAN.
56	MD FAIZ AKRAM	BR00150210002320	16/08/1980	MD AMIR HASSAN	SAMASTIPUR	MALE		EWS OH	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, MAHNAR DIS- VAISHALI.
57	MITHILESH KUMAR	BR00150210001043	01/03/1979	LATE SUGAMBER PRASAD DAS	BHAGALPUR	MALE	SC	SC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, BARSOI DIS-KATIHAR.
58	SANJAY KUMAR	BR00150210000005	12/01/1983	DEO MUNI SINGH	ROHTAS	MALE	BC	BC	PLACE-SADAR HOSPITAL BHOJPUR DIS-BHOJPUR
59	EASHA KUMARI	BR00150210000043	12/02/1993	AMOD KUMAR CHOUSHARY	DARBHANGA	FEMALE	GEN	UR FEMALE	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, PUPRI DIS-SITAMARHI.
60	MD SARFRAZ ALAM	BR00150210001498	04/01/1986	MD AMINUDDIN ANSARI	ARARIA	MALE	EBC	EBC	PLACE-SADAR HOSPITAL SAHARSA DIS-SAHARSA.
61	KARISHMA	BR00150210002498	02/07/1980	CHANDRAHAS SINGH	BHAGALPUR	FEMALE	BC	UR FEMALE	PLACE-SADAR HOSPITAL KATIHAR DIS-KATIHAR.
62	SANJAY PRASAD YADAV	BR00150210002230	02/02/1986	RAM AYODYA PRASAD YADAV	SIWAN	MALE	BC	BC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, HATHUA DIS-GOPALGANJ.
63	SANTOSH KUMAR	BR00150210001638	01/03/1986	RAM SWARUP PASWAN	NAWADA	MALE	SC	SC	PLACE –BCPO, PATNA PATNA DIS-PATNA.
64	NAVIN KUMAR MANDAL	BR00150210001130	30/07/1986	BRAHAMDEO MANDAL	PATNA	MALE	EBC	EBC	PLACE–SKMCH, MUZAFFARPUR, MUZAFFARPUR DIS-MUZAFFARPUR.
65	SANTOSH KUMAR SUMAN	BR00150210002673	01/03/1979	RAMU PD GUPTA	MADHEPURA	MALE	EBC	EBC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL,NAUGACHHIA DIS-BHAGALPUR.
66	MD NASIR SULAIMAN ALAM	BR00150210002232	01/03/1980	MD SAYED ALAM	NAWADA	MALE	BC	BC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, RAJGIR DIS-NALANDA.
67	KRISHNA NANDAN SINGH	BR00150210002183	20/01/1981	JAI PRAKASH SINGH	KHAGARIA	MALE	BC	BC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, ROSERA DIS-SAMASTIPUR.
68	PURNIMA KUMARI	BR00150210002408	20/01/1985	KRISHNA DEO MISHRA	PATNA	FEMALE	GEN	UR FEMALE	PLACE - VIKLANG BHAWAN, PATNA, PATNA DIS-PATNA.
69	TRIPTI SHAHI	BR00150210000276	22/01/1991	SANTOSH KUMAR SHAHI	GAYA	FEMALE	GEN	UR FEMALE	PLACE-SADAR HOSPITAL ROHTAS DIS-ROHTAS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	RAVI SHANKAR	BR00150210002228	15/02/1982	INDRADEO PRASAD	JAMUI	MALE	BC	BC	PLACE-SADAR HOSPITAL, MUNGER DIS-MUNGER.
71	SAMOD KUMAR	BR00150210001496	24/03/1981	BALKU RAVIDAS	GAYA	MALE	SC	SC	PLACE -SADAR HOSPITAL NAWADA DIS-NAWADA.
72	KUMARI SOMA	BR00150210002215	06/01/1985	KUMUD KUMAR	PATNA	FEMAL E	GEN	UR FEMALE	PLACE -LEPROSY CONTROL UNIT, TARAPUR, DIS-MUNGER.
73	SHILPI KUMARI	BR00150210001933	10/07/1984	SHAILENDRA KUMAR SAHIL	PATNA	FEMAL E	GEN	UR FEMALE	PLACE -LNIPN, RAJVANSHI NAGAR, PATNA DIS-PATNA.
74	INDRANI KUMARI	BR00150210001255	11/01/1980	DR PANKAJ KUMAR	PURNIA	FEMAL E	GEN	UR-HH	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, KAHALGAON DIS-BHAGALPUR.
75	MD ZAHID HUSSAIN ANSARI	BR00150210001872	08/02/1982	DR M KHALID	PATNA	MALE	EBC	EBC	PLACE-SADAR HOSPITAL HAJIPUR DIS-VAISHALI.
76	AMAR KUMAR	BR00J150210002139	25/02/1990	RAVINDRA PRASAD	NAWADA	MALE	EBC	EBC	PLACE -GOVT DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL, RAHUI, PAITHNA – NALANDA.
77	BINOD KUMAR SAHANI	BR00150210003000	06/07/1978	BISHESHWAER SAHANI	BEGUSARAI	MALE	EBC	EBC	PLACE- SUB DIVISIONAL HOSPITAL, GOGHRI DIS-KHAGARIA.
78	RINKI KUMARI	BR00150210001533	15/12/1987	MANI RAJAK	PATNA	FEMAL E	SC	SC	PLACE- SKMCH, MUZAFFARPUR, MUZAFFARPUR DIS- MUZAFFARPUR.
79	ANNAPURNA	BR00150210000438	02/02/1995	JAI PRAKASH CHOURASIA	MUNGER	FEMAL E	EBC	EBC	PLACE-LNIPN, RAJVANSHI NAGAR, PATNA DIS-PATNA.
80	RACHNA BHARTI	BR00150210001101	01/01/1986	SURENDRA PRASAD	JAMUI	FEMAL E	BC	WBC	PLACE-SADAR HOSPITAL BANKA DIS-BANKA.
81	ZISHAN SHAMIM	BR00150210000560	18/03/1988	SHAMIM AHMAD	SAMASTIPUR	FEMAL E	EWS	EWS FEMALE	PLACE-SADAR HOSPITAL MADHEPURA DIS- MADHEPURA.
82	PANKAJ KUMAR	BR00150210003089	05/01/1980	PRAVEEN KUMAR SINGH	KATIHAR	MALE	EWS	EWS-FF	PLACE – SADAR HOSPITAL, BHAGALPUR DIS- BHAGALPUR.
83	SEEMA KUMARI	BR00150210002310	13/12/1979	BAIDYANATH BAITHA	PATNA	FEMAL E	SC	SC	PLACE -LNIPN, RAJVANSHI NAGAR, PATNA DIS-PATNA.
84	PIYUSH KUMAR	BR00150710002803	01/06/1978	SHAILENDRA KUMAR MANDAL	MUNGER	MALE	EBC	EBC	PLACE-SADAR HOSPITAL KHAGARIA DIS-KHAGARIA.
85	IMRAN ALAM	BR00150210001241	13/08/1986	GAYASUDDIN ANSARI	DARBHANGA	MALE	EBC	EBC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, JHANJHARPUR DIS- MADHUBANI.
86	GYAN PRAKASH	BR00150210000596	28/02/1989	JAI PRAKASH	NALANDA	MALE	EBC	EBC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, PALIGANJ DIS-PATNA.
87	ROBINA SHAMIM	BR00150210001715	05/08/1991	MD SHAMIM AKHTAR ANSARI	GOPALGANJ	FEMAL E	EBC	EBC	PLACE -DISTRICT LEPROSY CONTROL UNIT, WEST CHAMPARAN. DIS-WEST CHAMPARAN.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	PALLAVI KUMARI	BR00150210002336	26/10/1985	KRISHNA KUMAR	SARAN	FEMALE	BC	WBC	PLACE-SADAR HOSPITAL SIWAN, DIS-SIWAN.
89	NIRUPAMA SINGH	BR00150210001545	14/11/1986	KRISHNA KUMAR SINGH	SIWAN	FEMALE	EWS	EWS FEMALE	PLACE – VIKLANG BHAWAN, BCPO PATNA, PATNA DIS-PATNA.
90	SNEHA SUMAN	BR00150210000460	03/12/1990	RABINDRA PRASAD	PURBI CHAMARAN	FEMALE	EBC	EBC	PLACE -LNJPN, RAJVANSHI NAGAR, PATNA DIS-PATNA.
91	SURAJ KUMAR	BR00150210001408	21/01/1984	ANANDI PRASAD	PATNA	MALE	EBC	EBC	PLACE-SKMCH, MUZAFFARPUR, MUZAFFARPUR DIS-MUZAFFARPUR.
92	SONAM	BR00150210001817	20/10/1986	PRABHASH KUMAR	NAWADA	FEMALE	EBC	EBC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, BALIA DIS-BEGUSARAI.
93	MOHD RIZWAN	BR00150210001508	13/08/1989	MOHD TAHA SIDDIQUE	ARARIA	MALE	EBC	EBC	PLACE – JLNMCH, BHAGALPUR, BHAGALPUR, DIS-BHAGALPUR.
94	SUNIL KUMAR	BR00150210001839	07/10/1982	BHAGWAN SAH	SITAMARHI	MALE	EBC	EBC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, NARKATIYAGANJ DIS- PASCHIM CHAMPARAN.
95	NIWEDITA KUMARI	BR00150210000489	21/06/1981	LATE SHIV SHANKAR SHARMA	PATNA	FEMALE	EBC	EBC	PLACE-VIKLANG BHAWAN, BCPO, PATNA, PATNA DIS-PATNA.
96	NISHI SUMAN	BR00150210002165	28/03/1986	YOGENDRA HARIJAN	PASHCHIM CHAMPARAN	FEMALE	SC	SC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL,MAHUA DIS-BAISHALI.
97	ANJU KUMARI	BR00150210000796	02/05/1983	KUMAR ARJUN	NALANDA	FEMALE	BC	BC FEMALE	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, MASAURHI DIS-PATNA.
98	ANUPAM RANI	BR00150210002153	06/06/1990	SATYADEO PRASAD SINHA	NALANDA	FEMALE	BC	BC FEMALE	PLACE -LNJPN, RAJVANSHI NAGAR, PATNA DIS-PATNA.
99	ISHA KUMARI SMITA	BR00150210002323	10/03/1989	RAKESH RANJAN	MADHEPURA	FEMALE	BC	BC FEMALE	PLACE -JNKTMCH, MADHEPURA MADHEPURA DIS-MADHEPURA.
100	NITU	BR00150210001818	09/01/1994	JPN SINGH	BHOJPUR	FEMALE	BC	BC FEMALE	PLACE-VIKLANG BHAWAN, BCPO, PATNA, PATNA. DIS-PATNA.
101	KUNDAN KUMAR	BR00150210001298	06/12/1990	KAILASH PASWAN	NALANDA	MALE	SC	SC	PLACE-VIKLANG BHAWAN, BCPO, PATNA, PATNA DIS-PATNA.
102	SOURAV KUMAR	BR00150210002345	02/06/1988	LAXMAN RAVIDAS	BHAGALPUR	MALE	SC	SC	PLACE -GMC, PURNEA, PURNIYA DIS-PURNIA
103	APRANA ANAND	BR00150210000893	01/01/1980	RAM PRAKASH DAS	BHAGALPUR	FEMALE	SC	SC	PLACE -LNJPN, RAJVANSHI NAGAR, PATNA DIS-PATNA.
104	SHASHI NANDAN VERMA	BR00150210001260	08/12/1985	KRISHN NANDAN VERMA	JEHANABAD	MALE	BC	BC-FF	PLACE -LNJPN, RAJVANSHI NAGAR, PATNA DIS-PATNA.
105	AARTI KUMARI	BR00150210000353	28/11/1992	ARJUNE RAJAK	PATNA	FEMALE	SC	SC	PLACE-VIKLANG BHAWAN, BCPO, PATNA, PATNA DIS-PATNA.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	SUNIL KUMAR NIRALA	BR00150210002155	14/10/1978	UMESH PASWAN	KHAGARIA	MALE	SC	SC	PLACE-JLNMCH, BHAGALPUR, BHAGALPUR DIS-BHAGALPUR.
107	SWATI KUMARI	BR00150210000227	26/09/1991	SHIV KUMAR	MUZAFFARPUR	FEMALE	SC	SC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, PATORI DIS-SAMASTIPUR.
108	ARTI JYOTSANA	BR00150210000677	20/01/1991	RANVIJAY KUMAR SINGH	GAYA	FEMALE	EBC	EBC FEMALE	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, RAJAULI, DIS-NAWADA.
109	KAUSHAL KUMAR	BR00150210001650	28/01/1988	RAM BAHAL PASWAN	PATNA	MALE	SC	SC	PLACE -SADAR HOSPITAL, SHEIKHPURA, DIS-SHEIKHPURA.
110	RAJESH KUMAR PRASAD	BR00150210001558	05/03/1982	DEVENDRA DAS	PATNA	MALE	SC	SC	PLACE – SKMCH, MUZAFFARPUR, MUZAFFARPUR DIS-MUZAFFARPUR.
111	PINTU KUMAR	BR00150210001445	11/12/1987	HARI NARAYAN RAJAK	ARARIA	MALE	SC	SC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, MANIHARI DIS-KATIHAR.
112	JITENDRA KUMAR	BR00150210000105	15/07/1987	RAJENDRA PRASAD	SARAN	MALE	SC	SC	PLACE -SADAR HOSPITAL MUZAFFARPUR DIS-MUZAFFARPUR.
113	PRAMOD KUMAR	BR00150210002108	09/11/1983	CHHOTE LAL PASWAN	DARBHANGA	MALE	SC	SC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, PHULPARAS, DIS-MADHUBANI.
114	RANJAN PRAKASH	BR00150210000335	24/12/1990	RAM CHANDRA BAITHA	SAMASTIPUR	MALE	SC	SC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, BENIPUR, DIS- DARBHANGA.
115	SHIV SHANKAR ASHUTOSH	BR00150210002321	15/08/1981	BASUDEV MAHARA	MADHUBANI	MALE	SC	SC	PLACE –SUB DIVISIONAL HOSPITAL, TRIBENIGANJ DIS-SUPAUL.
116	RAJNISH KUMAR PASWAN	BR00150210001246	16/07/1982	NAWAL KISHOR PASWAN	KHAGARIA	MALE	SC	SC	PLACE - SUB DIVISIONAL HOSPITAL, TARAPUR DIS-MUNGER.
117	MUMTAZ KARIM	BR00150210000424	04/05/1988	NEMAT KARIM	GAYA	MALE	EBC	EBC-VH	PLACE -SADAR HOSPITAL, JAY PRAKASH NARAYAN HOSPITAL DIS-GAYA.
118	MANOJ KUMAR	BR00150210001503	25/12/1982	DIPNARAYAN PRASAD	PASHCHIM CHAMPARAN	MALE	ST	ST	PLACE –SUB DIVISIONAL HOSPITAL, CHAKIA DIS-EAST CHAMPARAN.

2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 3172, दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 के आलोक में फिजियोथेरापिस्ट पद हेतु सफल कुल 125 (एक सौ पच्चीस) अभ्यर्थियों में से 7 (सात) अभ्यर्थियों का पद सुरक्षित चयन लंबित रखा गया है जो निम्न प्रकार है :--

Sl No.	Registration No	Category	Name
1	BR00150210000481	UR-F	HENA PERWEEN
2	BR001502100002301	SC	HEMLATA BHARTI
3	BR001502100001200	SC	DURGESH KUMAR
4	BR001502100001194	EBC	PRATIBHA KUMARI
5	BR00150210000434	EBC	SANJEETA RANJANA
6	BR00150210002799	WBC	DIPIKA SUMAN
7	BR001502100001166	WBC	ANJALI RAI

3. योगदान स्वीकरण पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योगदान देने वाले अभ्यर्थी के पास स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 260 (11), दिनांक 30 मार्च, 2022 के आलोक में नवनियुक्त वैसे फिजियोथेरापिस्ट जिन्होंने तीन वर्षीय डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के पश्चात् एक वर्षीय ब्रिज कोर्स किया है उनका शैक्षणिक योग्यता अन्तर्गत 06 (छ:) माह का Internship Completion Certificate उपलब्ध हो।

4. वैसे सरकारी कर्मी (अभ्यर्थी) जो पूर्व में कहीं नियमित रूप से कार्यरत रहे हैं, वे विधिवत विरमित होकर NOC प्रमाण-पत्र के साथ योगदान करेंगे, तदुपरान्त ही उनके योगदान को स्वीकृत किया जायेगा।

5. वर्तमान पदस्थापना CWJC No.-7810/2022, कुमार मनोज रंजन एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी । साथ ही, माननीय न्यायालय में लंबित वैसे सदृश्य मामले जो स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में नहीं है किन्तु जो इस विज्ञापन से संबंधित है, में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल से चयनित मेधासूची/पदस्स्थापन प्रभावित होगा।

6. यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है, पुलिस सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने/चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान की होगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का यह दायित्व होगा कि पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (PVR) से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/जाति प्रमाण-पत्र/ अन्य अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत् कार्रवाई भी की जायेगी। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि वे अपने संस्थान में योगदान करने वाले नवपदस्थापित फिजियोथेरापिस्ट के शैक्षणिक व अन्य प्रमाण-पत्रों का विधिवत सत्यापन करायेंगे।

8. योगदान के समय नवनियुक्त फिजियोथेरापिस्ट को असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9. सभी नवनियुक्त फिजियोथेरापिस्ट सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919, दिनांक 18 जनवरी, 1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा-पत्र योगदान करते समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त, 2005 एवं 769, दिनांक 03 जुलाई, 2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. सभी नवनियुक्त फिजियोथेरापिस्ट को यह निर्देश दिया जाता है कि नियुक्ति-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से आगामी 15 दिनों के अंदर अपना योगदान पदस्थापित स्थान में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि की विस्तार हेतु साक्ष्य सहित सकारण आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

12. नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति-पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिये कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।

13. नवनियुक्त कर्मियों को प्रधान वेतनादि का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नवनियुक्त कर्मियों से संबंधित कागजातों, पुलिस सत्यापन, जाति प्रमाण-पत्र एवं पहचान के सत्यापन के उपरांत पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही करेंगे। कोई भी प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी संबंधित नवपदस्थापित फिजियोथेरापिस्टों का चयन संबंधी डोजियर की प्रति विभाग से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

14. निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ से संपुष्टि/सत्यापन के बाद वेतन का भुगतान किया जायेगा।

15. नियुक्ति प्रक्रिया में पायी गयी त्रुटि/भूल के सुधार का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा।

16. नियुक्ति-पत्र/पदस्थापन आदेश विभागीय वेबसाईट *https://state.bihar.gov.in/health* से डाउनलोड किया जा सकेगा।

राकेशचन्द्र सहाय वर्मा,
निदेशक प्रमुख,
(रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट–XIV

संख्या 6/एन०-10-03/2022-878(6)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य निदेशालय

प्रेषक

महेश्वर प्रसाद गुप्ता,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2022 (ई०)।

विषय--श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० द-101 (1459) के सन्निहित आश्वासन संख्या 786/22 के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ए०एन०एम० स्कूल, अनुमण्डलीय अस्पताल, जयनगर, मधुबनी को 30 सीटों पर नामांकन हेतु मान्यता प्रदान किया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या 834(6), दिनांक 07 अगस्त, 2021 के द्वारा दो ट्यूटर को शैक्षणिक कार्य हेतु पदस्थापित किया गया है तथा विभागीय पत्रांक संख्या 1218(6), दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य हेतु एक लिपिक तथा एक चतुर्थवर्गीय कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। संस्थान में दो सत्रों में क्रमशः 18 तथा 20 छात्राओं को नामांकित कर पठन-पाठन सूचारू रूप से संचालित है।

विभागीय पत्रांक 204(6), दिनांक 07 मार्च, 2022 द्वारा दिया गया सरकारी आश्वासन कार्यान्वित किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि इसे आश्वासन सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
महेश्वर प्रसाद गुप्ता,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–XV

संख्या 12/प०(क्यू०)04-44/2022-1122(12)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 21 जुलाई, 2022 (ई०)।

विषय--श्री अवध बिहारी चौधरी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० द-205 के उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 792/22 के कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक रा०आ०स० 31/2022-792, दिनांक 23 जून, 2022 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री अवध बिहारी चौधरी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०-द 205 के उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 792/22 के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत मामले में मृतका स्व० शैल कुमारी के पति श्री रामजीतन प्रसाद, ग्राम-भुलौनी, पोस्ट-सिमरिया, थाना-नौतन, जिला-सिवान को 4,50,000 (चार लाख पचास हजार रु०) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान दिनांक 15 मार्च, 2022 को किया जा चुका है। (साक्ष्य की प्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन संख्या 792/22 को विलोपित करने हेतु राजकीय आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

अनु० यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
आनंद प्रकाश
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना ।

सं० 390/आ०प्र०

समाहरणालय सिवान

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

10 मार्च, 2022

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 222/आ०प्र० एवं 224/आ०प्र०, दिनांक 25 जनवरी, 2022 द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को प्रति मृतक चार लाख पचास हजार रु० के दर से भुगतान किये जाने हेतु कुल 5,36,50,000 (पाँच करोड़ छतीस लाख पचास हजार) रु० एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 311/आ०प्र० एवं 312/आ०प्र०, दिनांक 29 जनवरी, 2022 द्वारा प्रति मृतक चार लाख पचास हजार रु० के दर से कुल 1,30,50,000 (एक करोड़ तीस लाख पचास हजार) रु० का आवंटन जिला को प्राप्त है।

अंचलाधिकारी, नौतन से 01 (एक) मृतक के निकटतम आश्रित की बैंक विवरणी प्राप्त है। प्राप्त विवरणी के आधार पर प्रत्येक मृतक के निकटतम आश्रित को चार लाख पचास हजार रु० की दर से कुल 4,50,000 (चार लाख पचास हजार) रु० के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है, जिनका विवरण निम्नवत् है :--

Sl.	Beneficiary Name	Father/Husband name of Benfeciary	Name of Deceased person	Relation with Deceased	Address	Bank Name	Bank Account No.	IFSC Code	Amount of pay (State fund)	Amount of pay (SDRF)	Total
1	Ramjitan Prasad	Mangani Pal	Sail Kumari Devi	Wife	Bhulawani, Nautan	Central Bank of India	2199404944	CBIN0280204	400000.00	50000.00	450000.00
	Bill Ref No 20220312114168					Total			400000.00	50000.00	450000.00

नजारत उप-समाहर्ता, सिवान को आदेश दिया जाता है कि कोविड-19 के संक्रमण से एक मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित को चार लाख रु० एवं पचास हजार रु० अर्थात कुल 4,50,000 (चार लाख पचास हजार) रुपया सीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खाता में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

राशि की निकासी शीर्ष 39-2245021010003 से भुगतान किया जायेगा। इस आवंटन से व्यय होने वाली राशि के लिये तैयार किये गये विपत्र/विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों से लाल स्याही से "800 आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष-................, उपमुख्य शीर्ष-................, लघु शीर्ष-............. उपशीर्ष-..............." अंकित कराया जाय। उक्त राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से की जाये।

(ह०)अस्पष्ट,

जिला पदाधिकारी, सिवान।

परिशिष्ट–XVI

संख्या 12/प०(क्यू०)04-05/2022-771(12)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 22 मई, 2023 (ई०)।

विषय--श्री नन्द किशोर यादव, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० द-119 पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 815/22 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक रा०आ०स० 31/2022-815/22 वि०स०, पटना दिनांक 23 जून, 2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री नन्द किशोर यादव, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० द-119 पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 815/22 (श्री गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना सिटी को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने के संबंध में) के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) बी०एम०एस०आई०सी०एल० के पत्रांक 9455, दिनांक 25 फरवरी, 2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है, कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 24 माह है।

अतः अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन संख्या 815/22 को विलोपित करने हेतु राजकीय आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

अनु० यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
आनन्द प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

पत्रांक BMSIC/10065/05-2022/9455

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited (BMSICL)

C. No- U85100BR2010SGC015886

प्रेषक

मुख्य महाप्रबंधक (परि०),
बी.एम.एस.आई.सी.एल.,
पटना ।

सेवा में

आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2023 (ई०)।

विषय-- श्री नन्द किशोर यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या (द-22) से उत्पन्न आश्वासन सं० 815/22 संबंधित उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग--सं०सं० 12/प० क्यू-04-47/2022-1088 (12), दिनांक 18 जुलाई, 2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री राजीव कुमार, माननीय स०वि०प० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या (द-22) से उत्पन्न आश्वासन सं० 815/22 का कंडिकावार उत्तर सामग्री इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अनु० यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
मुख्य महाप्रबंधक (परि०),
बी.एम.एस.आई.सी.एल.,
पटना ।

श्री नन्द किशोर यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या (द-22) से उत्पन्न आश्वासन सं० 815/22 ।

तारांकित प्रश्न सं० (द-22)

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के ज्ञापांक 901, दिनांक 30 मई, 2021 के द्वारा श्री गुरू गोविंद सिंह सदर अस्पताल को मॉडल स्वीकृति प्रदान की गयी है। निविदा प्रक्रियाधीन है।

अत: अनुरोध है कि विषयांकित आश्वासन का कार्यान्वयन प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

उत्तर

तारांकित प्रश्न के आलोक में उत्तर निम्नांकित है :--

- वर्तमान में निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।
- कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
- कार्य पूर्ण करने की अवधि 24 माह है।

परिशिष्ट–XVII

संख्या 12/प०-क्यू०-04-40/2022-1459(12)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 28 सितम्बर, 2022 (ई०)।

विषय--श्री दिलीप राय, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या (द-175) से उत्पन्न आश्वासन सं० 839/22 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक रा०आ०स० 31/2022-839/22, दिनांक 23 जून, 2022 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री दिलीप राय, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० द-175 से उत्पन्न आश्वासन सं० 839/22 के संदर्भ में अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, पटना के पत्रांक 2560/आ०प्र०, दिनांक 28 जुलाई, 2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत मामले में मृतक स्व० शिव शंकर चौधरी के आश्रित पत्नी-कल्पना चौधरी को खाता सं० 12200100010224 IFSC Code- FDRL0001220 में चेक संख्या 660195, दिनांक 20 अप्रील, 2022 द्वारा मो०-4,00,000 (चार लाख) रुपये एवं चेक संख्या 660220, दिनांक 22 अप्रील, 2022 द्वारा मो० 50,000 (पचास हजार) रुपये RTGS के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। (संबंधित पत्र की छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि सकारी आश्वासन संख्या 839/22 को विलोपित करने हेतु राजकीय आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पत्रांक 2560(12)/ आ०प्र०

पटना समाहरणालय, पटना

(आपदा प्रबंधन शाखा)

प्रेषक

अपर समाहर्ता,
आपदा प्रबंधन,
पटना ।

सेवा में

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार,
पटना ।

पटना, दिनांक 28 जुलाई, 2022 (ई०)।

विषय-- श्री दिलीप राय, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2807 (द-175) से उत्पन्न आश्वासन सं० 839/22 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग--आपका पत्रांक 1096 (12), दिनांक 18 जुलाई, 2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा प्राप्त श्री दिलीप राय, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 2807, द-175 से उत्पन्न आश्वासन सं० 839/22 से संबंधीत उत्तर सामग्री निम्नवत् है:--

प्रश्न --(1) क्या यह बात सही है कि स्व० शिव शंकर चौधरी, पी०एम०सी०एच०, पटना के आँख विभाग में एच०ओ०डी० के पद पर कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 05 मई, 2021 को कोरोना से हो गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुदान के लिये आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद उनके परिजन को कोरोना से मृत्यु उपरान्त मिलने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान अभीतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व० शिव शंकर चौधरी के परिवार को मरणोपरान्त अनुग्रह राशि प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । स्व० शिव शंकर चौधरी, पी०एम०सी०एच०, पटना के आँख विभाग में सह-प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे, जो दिनांक 31 जुलाई, 2010 को सेवानिवृत्त हो गये।

(2) अस्वीकारात्मक । मृतक स्व० शिव शंकर चौधरी के आश्रित पत्नी कल्पना चौधरी के खाता सं० 12200100010224, IFSC Code- FDRL0001220 में चेक संख्या 660195, दिनांक 20 अप्रील, 2022 द्वारा मो०-4,00,000 (चार लाख) रुपये एवं चेक संख्या 660220, दिनांक 22 अप्रील, 2022 द्वारा मो० 50,000 (पचास हजार) रुपये RTGS के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है।

(3) कंडिका (2) के अनुरूप ।

विश्वासभाजन,
ह० अस्पष्ट,
अपर समाहर्ता,
आपदा प्रबंधन, पटना ।

परिशिष्ट–XVIII

संख्या 12/प०-क्यू०-04-39/2022-1144(12)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 27 जुलाई, 2022 (ई०)।

विषय-- श्री अजय यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1574(द-168) के उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 845/22 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक रा०आ०स० 31/2022-845, दिनांक 23 जून, 2022 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री अजय यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 1574 (द-168) के उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 845/22 के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत मामले में गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड नीमचक बथानी में एक नया आतुरवाहन उपलब्ध करा दिया गया है। (असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न) ।

अत: अनुरोध है कि सकरारी आश्वासन संख्या 845/22 को विलोपित करने हेतु राजकीय आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

अनु० यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पत्रांक 2274

कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया।

Ph. No. 0631-2220302 E-mail ID : csoffleegaya@gmail.com

प्रेषक

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, गया ।

सेवा में

आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

गया, दिनांक 20 जुलाई, 2022 (ई०)।

विषय-- श्री अजय यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1574 (द-168) से उत्पन्न आश्वासन सं० 845/22 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग--आपका पत्रांक 1094(12), दिनांक 18 जुलाई, 2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री अजय यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1574(द-168) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 845/22 के कार्यान्वयन के संबंध में प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:--

01. राज्य स्वा० समिति, बिहार, पटना से कुल 21 आतुरवाहन (ALSA/BLSA) प्राप्त हुये जिसमें से नीमचक बथानी सहित कुल 18 प्रखंडों में एक-एक नयी आतुरवाहन उपलब्ध करा दिये गये हैं।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया ।

परिशिष्ट–XIX

संख्या 12/प०-क्यू०-04-73/2022-1590(12)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा पटना ।

पटना, दिनांक 01 नवम्बर, 2022 (ई०)।

विषय--श्री भरत बिन्द, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 26 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० द-3112 (द-331) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 1518/22 के कार्यान्वियन के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक रा०आ०स० 39/2022-1518/22, दिनांक 18 जुलाई, 2022 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री भरत बिन्द, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 26 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-द-3112 (द-331) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 1518/22 के संदर्भ में अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, कैमूर, भभुआ के पत्रांक 1091/आ०प्र०, दिनांक 01 सितम्बर, 2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत मामले में सत्यापनोपरान्त कोविड-19 से मृत आममगीर अंसारी की आश्रित पत्नी-साहिना खातुन, ग्राम-कुड़ारी, अंचल-रामपुर, मृतक बबन पाठक के आश्रित पुत्र आशुतोष पाठक, ग्राम-टेटीहा, अंचल-रामपुर एवं मृतक रामसूरत साह की आश्रित पत्नी जानकी देवी, ग्राम+अंचल-रामगढ़ को राज्य संसाधन मद से 4.00 लाख (चार लाख) रु० एवं आपदा रिस्पोंस कोष मद से 50,000.00 (पचास हजार) रु० की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान दिनांक 19 अप्रील, 2022 को कर दिया गया है। उक्त मामलों के अतिरिक्त अभीतक कुल 155 मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4.50 लाख(चार लाख पचास हजार)रु० की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। (संबंधित पत्र की छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन संख्या 1518/22 को विलोपित करने हेतु राजकीय आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट–XX

संख्या 12/प०-क्यू०-04-71/2022-1493(12)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा पटना ।

पटना, दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 (ई०)।

विषय--श्री विरेन्द्र सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 26 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०-द-3126 (द-320) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 1527/22 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग-- बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक रा०आ०स० 39/2022-1527/22, दिनांक 18 जुलाई, 2022 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री विरेन्द्र सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 26 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-द-3126 (द-320) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 1527/22 के संदर्भ में अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, गया के पत्रांक 1022, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत मामले में मृतक (स्व० श्याम बहादुर सिंह, पिता-देवमंगल सिंह) के आश्रित पत्नी अनिता देवी, ग्राम-भिखनपुर, थाना-अंचल-वजीरगंज, गया को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है (संबंधित पत्र की छायाप्रति संलग्न) ।

अत: अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन संख्या 1527/22 को विलोपित करने हेतु राजकीय आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

अनु०:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पत्रांक 1022/ आ०

गया समाहरणालय, गया

(जिला आपदा शाखा)

प्रेषक

अपर समाहर्ता,
गया ।

सेवा में

श्री आनन्द प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 (ई०)।

विषय--श्री विरेन्द्र सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 26 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3126 (द-320) से उत्पन्न आश्वासन सं० 1527/22 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग--आपका पत्रांक 1322(12), दिनांक 31 अगस्त, 2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री विरेन्द्र सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 26 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 3126(द-320) से उत्पन्न आश्वासन सं० 1527/22 से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:--

प्रश्न --(1) क्या यह बात सही है कि बहादुर सिंह, पिता-देवमंगल सिंह, ग्राम-भिखनपुर, अंचल-वजीरगंज, जिला-गया की मृत्यु कोरोना से हो गयी है ।

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त व्यक्ति की सूची कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया में पत्रांक 162, दिनांक 14 जनवरी, 2022 के द्वारा दर्ज की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त मृतक के आश्रित को सरकारी मुआवजा देने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) मृतक के आश्रित पत्नी अनिता देवी, ग्राम-भिखनपुर, थाना+अंचल-वजीरगंज, गया को अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान कर दी गयी ।

विश्वासभाजन,
ह०(अस्पष्ट),
अपर समाहर्ता,
आपदा प्रबंधन, गया ।

परिशिष्ट–XXI

संख्या 12/प०-क्यू०-04-65/2022-1460(12)/ स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 28 सितम्बर, 2022 (ई०)।

विषय--श्री हरिशंकर यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 26 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 3192(द-292) के उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 1573/22 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग-- बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक रा०आ०स० 39/2022-1573, दिनांक 18 जुलाई, 2022 ।

महाशय,

निदेशालय उपर्युक्त विषयक श्री हरिशंकर यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 26 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3192 (द-292) के उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 1573/22 के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत मामले में रेफरल अस्पताल, रघुनाथपुर, सिवान में एक्स-रे मशीन अधिष्ठापित कराने के उपरान्त संचालित करा दिया गया है। (सिविल सर्जन, सिवान से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न) ।

अत: अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन संख्या 1573/22 को विलोपित करने हेतु राजकीय आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
आनंद प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

बि०स०मु० 02 (एल०ए०) - 2024-25 डी०टी०पी० -- 300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026